मध्य प्रदेश शासन
मछली पालन विभाग

मध्य प्रदेश मत्स्य पालन की नई नीति एवं त्रि–स्तरीय पंचायतों को मत्स्योद्योग के अधिकार/कार्यक्रम

2008

मत्स्योद्योग संचालनालय, मध्य प्रदेश के सौजन्य से

मध्य प्रदेश शासन
मछली पालन विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक–2886/96/36 भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 1996

प्रति,

1. आयुक्त (समस्त)
2. जिलाध्यक्ष (समस्त)
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (समस्त)
4. संचालक मत्स्योद्योग, मध्य प्रदेश भोपाल.
5. संयुक्त संचालक, मत्स्योद्योग (समस्त)
6. उप संचालक मत्स्योद्योग, (समस्त)
7. सहायक संचालक मत्स्योद्योग, (समस्त)
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मत्स्य कृषक विकास अभिकरण (समस्त)
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (समस्त)
10. सचिव, ग्राम पंचायत (समस्त)

विषय – पंचायतों को कर्तव्यों एवं कार्यक्रमों का विकेन्द्रीकरण.

मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 53 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद् विषयक पूर्व प्रसारित समस्त आदेशों को निष्प्रभावी करते हुए राज्य शासन द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को मछली पालन विभाग के कार्यक्रमों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार उत्तरदायित्व तथा गतिविधियाँ अंतरित की जाती हैं :–

1. तालाब/जलाशय प्रबंधन के अधिकार

पंचायत एवं मत्स्य महासंघ के अधिकारों का प्रबंधन निम्नानुसार होगा ।

1.1 10 हेक्ट. औसत जलक्षेत्र के तालाब/जलाशय – ग्राम पंचायत

1.2 10 हैक्टर से अधिक100 हैक्टर औसत जलक्षेत्र तक के–जनपद पंचायत,

1.3 100 – 1000 हेक्ट. औसत जलक्षेत्र तक के – जिला पंचायत

1000 हैक्टर औसत जलक्षेत्र से 2000 हैक्टर तक के उपलब्ध एवं निर्माणाधीन जलाशय के पूर्ण होने पर शासन निर्णय अनुसार विभाग/महांसघ के अधीन रखा जावेगा।

1.4 2000 हैक्टेयर से अधिक औसत जलक्षेत्र के जलाशय मत्स्य महासंघ के अधीनस्थ।

1.5 त्रि–स्तरीय पंचायतों के तालाब/ जलाशय प्रबंधन के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए केवल मत्स्य पालन के पट्टा आवंटन की प्रक्रिया/तकनीकी प्रक्रिया के अधिकार मत्स्य पालन विभाग के पास रहेंगे ।

1.6 तालाब/जलाशय पट्टे पर देने से प्राप्त आय पंचायत के कोष में जमा होगी ।

1.7 **पट्टाराशि से प्राप्त आय का वितरण–**
तालाबों की पट्टा राशि से पंचायतों को प्राप्त राजस्व का उपयोग मत्स्योद्योग विकास एवं परम्परागत मछुओं के कल्याणार्थ किया जावेगा ।

2. मछुआ सहकारी समितियों को ऋण एवं अनुदान स्वीकृत करने का अधिकार जिला पंचायत को होगा, जिसके नियम एवं प्रणाली संलग्न है। (परिशिष्ट–चार)

3. पंचायतों को मत्स्योद्योग विभाग की निम्नलिखित परियोजनाओं/ कार्यक्रमों को हस्तांतरित किया जाता है :–

3.1 **मत्स्य पालन प्रसार–**
अनुसूचित जनजाति/जातियों के मछुआरों को मछली पालन के लिए प्रथम तीन वर्षो में रूपये 25000/– का अनुदान दिया जाता है ।

3.2 **सिंचाई जलाशयों में मत्स्योद्योग विकास –**
1000 हैक्टर तक के जलाशयों को समितियों को पट्टे पर देकर मत्स्योत्पादन तथा मत्स्य उत्पादकता बढ़ाना है ।

3.3 **मछुआरों का प्रशिक्षण –**
सभी श्रेणी के मछुआरों को मछली पालन की तकनीक, मछली पकड़ना, जाल बुनना, नाव चलाना इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता है ।

3.4 **मछुआ सहकारी समितियों को सहायता–**
पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को मछली पालन हेतु तालाब पट्टा, मत्स्यबीज, मत्स्याखेट उपकरण जैसे नाव, जाल आदि के क्रय हेतु ऋण एवं अनुदान दिया जाता है ।

3.5 **अनुसूचित जनजाति/जाति की मछुआ सहकारी समितियों को अनुदान–**
मछुआ सहकारी समितियों को प्रथम तीन वर्षो में हिस्सा पूंजी, तालाब पट्टा, मत्स्यबीज एवं नाव जाल क्रय के लिए रूपये 1,50,000/– का अनुदान दिया जाता है ।

इन परियोजनाओं का विस्तृत विवरण संलग्न है । (परिशिष्ट–पांच) (क–छः तक)

4. **अमला–**
उपरोक्त उल्लेखित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मत्स्योद्योग विभाग के जिला स्तर पर पदस्थ सहायक संचालक मत्स्योद्योग मय अमले के (परिशिष्ट–छः) जिला पंचायत के नियंत्रण में कार्य करेगा, अंतरित किए कार्यों के संपादन के लिए जिला पंचायत को दिया जा रहा अमला जिला पंचायत के नियंत्रण में कार्य करते हुए मत्स्योद्योग विभाग की योजनाओं एवं कार्यक्रमों को कार्यान्वित करेगा ।

5. **मत्स्य कृषक विकास अभिकरण–**
मत्स्य कृषक विकास अभिकरण के अध्यक्ष जिला कलेक्टर के स्थान पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे । मत्स्य कृषक विकास अभिकरण तथा इसका समस्त अमला जिला पंचायत के नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में कार्य करेगा । यह अमला जिला पंचायत के नियंत्रण में कार्य करते हुए मत्स्योद्योग विभाग की योजनाओं एवं कार्यक्रमों को कार्यान्वित करेगा ।

5.1 **ग्रामीण तालाबों को मत्स्य पालन हेतु पट्टे पर देना–**
10 हैक्टर औसत जलक्षेत्र के तालाबों के पट्टे शासन नीति, निर्देशों, प्राथमिकता एवं निर्धारित अवधि के लिए हितग्राहियों को पट्टे पर दिलाना । सभी स्तर की पंचायतें ग्रामीण तालाब 10 वर्ष की अवधि के लिए तथा सिंचाई जलाशय 10 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर देंगी, जिसका अनुमोदन नियमानुसार पंचायतें/प्राधिकृत अधिकारी (कलेक्टर/कमिश्नर) से प्राप्त करेंगी ।

5.2 **ग्रामीण तालाबों में मत्स्यबीज संचयन–**
जिले के तालाबों की मत्स्यबीज की आवश्यकता का आकलन एवं उसकी जिले के प्रक्षेत्रों/जिले के बाहर से पूर्ति करना ।

5.3 **बैंक ऋण के प्रस्ताव तैयार कर उन्हें स्वीकृत कराना–**
मत्स्य कृषक विकास अभिकरण के हितग्राहियों के मत्स्य पालन संबंधी गतिविधियों के लिए बैंक ऋण के प्रस्ताव तैयार करना तथा बैंक ऋण दिलाना ।

5.4 **सहायता राशि का वितरण–**
निर्धारित पद्धति अनुसार आर्थिक सहायता का वितरण करना ।

5.5 **ग्रामीण तालाबों में मत्स्योत्पादन/सघन मत्स्यपालन/समन्वित मत्स्य पालन इकाईयों का विकास, सांख्यिकी का संकलन–**
मत्स्य कृषक विकास अभिकरण के हितग्राहियों को मत्स्य पालन का मार्गदर्शन देना, मत्स्योत्पादन तथा प्रति हैक्टर मत्स्य उत्पादकता बढ़ाना, सघन मत्स्य पालन, समन्वित मत्स्य पालन इकाईयों की स्थापना करना (परिशिष्ट–सात)

6. प्रचलित योजनाओं में पर्यवेक्षण के अधिकार व भविष्य की योजनाओं हेतु प्रशासकीय अनुमोदन व पर्यवेक्षण के अधिकार जिला पंचायत को दिए जाते हैं ।

7. हितग्राही मूलक योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाकर प्रस्ताव जनपद पंचायत के माध्यम से जिला पंचायत को भेजेंगे । हितग्राहियों का चयन जिला पंचायत, जनपद पंचायत के माध्यम से करेंगी । मछुआ सहाकरी समिति को ऋण एवं अनुदान देने के लिए समितियों का चयन जनपद पंचायत कर जिला पंचायत को प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी ।

8. जिला पंचायतों को हस्तांतरित कार्यो, कार्यक्रमों एवं योजनाओं का मासिक प्रगति प्रतिवेदन (वित्तीय एवं भौतिक) प्रतिमाह मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के माध्यम से उप संचालक मत्स्योद्योग एवं संचालक मत्स्योद्योग को नियमित रूप से भेजा जावेगा ।

9. अनुसंधान कार्य, अमले का प्रशिक्षण, मत्स्यबीज उत्पादन संबंधी समस्त कार्य, मत्स्यालय, मत्स्य विज्ञान केन्द्र का संचालन एवं प्रबंधन भारत सकार द्वारा सहायता प्राप्त केन्द्र एवं क्षेत्र एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं (मत्स्य कृषक विकास अभिकरण को छोड़कर) का क्रियान्वयन मत्स्योद्योग विभाग द्वारा सीधे किया जावेगा ।

10. संभाग में पदस्थत उप संचालक मत्स्योद्योग जिले में कार्यान्वित राज्य सेक्टर के कार्य एवं पंचायतों को अंतरित कार्यक्रमों एवं योजनाओं के पर्यवेक्षण, नियंत्रण, मार्गदर्शन अनुश्रवण तथा तकनीकी अनुसमर्थन के

लिए उत्तरदायी होंगे तथा सूचना का प्रवाह एवं जानकारी का संकलन उनके द्वारा किया जावेगा । विभाग का जो अमला पंचायत के अधीन नहीं किया गया है, उसका सीधा नियंत्रण उप संचालक मत्स्योद्योग द्वारा किया जावेगा । संभाग के उप संचालक मत्स्योद्योग, सहायक संचालक मत्स्योद्योग के कार्यालय के निरीक्षण एवं आडिट तथा अभिकरणों के निरीक्षण करने क लिए अधिकृत रहेंगे । नीति का निर्धारण, कार्यक्रमों का निर्धारण, राज्य की योजनाओं को अंतिम स्वरूप देना, पंचायत सेक्टर पर यथा आवश्यक नियंत्रण रखना, कार्यक्रमों का मूल्यांकन अनुश्रवण, नियंत्रण तथा मार्गदर्शन रहेगा तथा नीतिगत निर्णय लेने का राज्य शासन का अधिकार एवं कर्त्तव्य बना रहेगा । संभाग और उसके ऊपर के स्तर के विद्यमान कार्य, अधिकार एवं दायित्व यथावत् रहेंगे ।

11. प्रदेश में मत्स्योद्योग गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित राजीव गांधी मत्स्य विकास मिशन के अंतर्गत संचालित सभी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मत्स्य कृषक विकास अभिकरण द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के निर्देशन में किया जावेगा एवं प्रगति से राज्य शासन को अवगत कराया जावेगा ।

12. **बजट व्यवस्था एवं वित्तीय अधिकार –**

राज्य शासन द्वारा प्रदत्त वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करते हुए सहायक संचालक मत्स्योद्योग जिला पंचायत को अंतरित कार्यो/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु धनराशि का आहरण जिला पंचायत के नियंत्रण एवं निर्देशानुसार करेंगे । मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मत्स्य कृषक विकास अभिकरण उन्हें प्रदत्त वित्तीय अधिकारों का उपयोग करते हुए अभिकरण की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु जिला पंचायत के नियंत्रण एवं निर्देशानुसार आहरण करेंगे ।

13. **प्रशासनिक अधिकार –**

13.1 मत्स्योद्योग विभाग का जो अमला जिला पंचायत के नियंत्रण में कार्य करेगा, उस अमले की सेवा शर्तें, वेतन एवं भत्ते के भुगतान की पद्धति पदोन्नति एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही पूर्ववत ही रहेगी । इस अमले का सेवा अभिलेख तथा सामान्य भविष्य निधि इत्यादि संधारण आदि भी पूर्ववत विभाग के अधीन रहेगा, किन्तु पंचायतों को हस्तांतरित परियोजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए अमला जिला पंचायत के प्रति उत्तरदायी रहेगा ।

13.2 **अनुशासनात्मक कार्यवाही –**

जिला पंचायत द्वारा चतुर्थ श्रेणी तथा सहायक (वर्ग–तीन) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के आदेश दिए जाने पर सहायक संचालक मत्स्योद्योग/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मत्स्य कृषक विकास अभिकरण

का कर्त्तव्य होगा कि वह नियमानुसार पूर्ण परीक्षण कर की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन जिला पंचायत को प्रस्तुत करें । तृतीय श्रेणी के अधिकारी /कर्मचारियों के बारे में अनुशासनात्मक कार्यवाही जो पूर्व में उप संचालक मत्स्योद्योग करते थे वह अब जिला पंचायत करेंगी । सहायक संचालक मत्स्योद्योग/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मत्स्य कृषक विकास अभिकरण के विरूद्ध शिकायत या कार्यवाही का प्रस्ताव जिला पंचायत द्वारा दिए जाने पर कार्यवाही उप संचालक मत्स्योद्योग द्वारा की जावेगी।

यदि किस अमले के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाना आवश्यक हो तो जिला पंचायत द्वारा इसकी प्रारंभिक जांच करवाई जाकर, जांच प्रतिवेदन मय आवश्यक दस्तावेज़ एवं अधिरोपित, आरोप अभिकथन पत्रक, गवाहों की सूची एवं अपनी अनुशंसा के साथ संभाग के उप संचालक मत्स्योद्योग को भेजेंगे । उप संचालक मत्स्योद्योग उनका प्रदत्त अधिकारों के तहत कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थापित कर निर्णय लेंगे एवं दण्ड अधिरोपित करेंगे । उप संचालक मत्स्योद्योग उनके अधिकार सीमा के बाहर के प्रकरणों में प्रस्ताव अपने मत सहित संचालक मत्स्योद्योग को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजेंगे ।

13.3 **गोपनी प्रतिवेदन–**

पंचायत के अधीन किए गए तृतीय/चतुर्थ श्रेणी अमलों का गोपनीय प्रतिवेदन विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सहायक संचालक मत्स्योद्योग/ अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्रथम अभिमत अंकित कर द्वितीय अभिमत के लिए जिला पंचायत को प्रस्तुत किया जावेगा । जिला पंचायत अपना अभिमत अंकित कर प्रति हस्ताक्षर हेतु उप संचालक मत्स्योद्योग को भेजेंगे । सहायक संचालक मत्स्योद्योग एवं अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, के गोपनीय प्रतिवेदन पर प्रथम मत जिला पंचायत द्वारा अंकित किया जावेगा । द्वितीय अभिमत के लिए वे प्रतिवेदन संभाग के उप संचालक मत्स्योद्योग को भेजेंगे, जो अपना अभिमत अंकित कर प्रतिवेदन संचालक मत्स्योद्योग को भेजेंगे । बालाघाट जिले में अभिकरणों के मुख्य अधिकारी चूंकि प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं अतः इनके गोपनीय प्रतिवेदन जिला पंचायत द्वारा सीधे ही संचालक मत्स्योद्योग को भेजे जावेंगे । अभिकरणों में नियुक्त कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेंगे ।

13.4 **स्थानांतरण–**

तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों को जिले के अंदर स्थानांतरित करने का अधिकार जिला पंचायत को होगा किन्तु यह पदस्थापना केवल विभाग द्वारा स्वीकृत स्थानों पर ही की जावेगी ।

सहायक संचालक मत्स्योद्योग/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मत्स्य कृषक विकास अभिकरण का स्थानान्तर राज्य शासन एवं संचालक मत्स्योद्योग करेंगे । यदि किसी कर्मचारी का स्थानान्तरण जिले के बाहर किया जाना हो तो प्रस्ताव जिला पंचायत द्वारा संभाग के उप संचालक मत्स्योद्योग को भेजा जावेगा ।

जिला पंचायतों द्वारा जारी किए गए गए स्थानान्तर आदेशों के विरूद्ध अपील जिला कलेक्टरों को प्रदान किए गए हैं । प्रभावित अधिकारी/कर्मचारी स्थानांतर आदेश प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर आवश्यकता अनुसार अपील/अभ्यावेदन संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रस्तुत कर सकेंगे । जिला कलेक्टर अपील/अभ्यावेदन प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर उसका परीक्षण कर जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से उसका निराकरण करेंगे और लिये गए निर्णय से संबंधित को सूचित करेंगे ।

13.5 **अवकाश स्वीकृति–**

तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश एवं अन्य अवकाश के अधिकार सहायक संचालक मत्स्योद्योग/अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के अधीन रहेंगे ।

तृतीय श्रेणी (कार्यपालन) के केवल अर्जित अवकाश/चिकित्सा अवकाश के अधिकार संभाग के उप संचालक मत्स्योद्योग को रहेंगे । सहायक संचालक मत्स्योद्योग/अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के अवकाश उप संचालक मत्स्योद्योग द्वारा स्वीकृत किए जावेंगे । उप संचालक मत्स्योद्योग अवकाश स्वीकृति की सूचना जिला पंचायत को देंगे।

13.6 **वेतन वृद्धियां–**

वेतन वृद्धियों की स्वीकृति पूर्ववत् सक्षम अधिकारी द्वारा शासन नियमों के तहत की जावेंगी ।

ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

सही/–

(प्रेमप्रकाश माथुर)
सचिव,
म.प्र.शासन मछली पालन विभाग
भोपाल

पृ0क्र0 / 2887 / 96 / 36 भोपाल दिनांक 31 अक्टूबर 1996

प्रतिलिपि –

1. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ (सहकारी) मर्यादित, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

सही / –
सचिव,
म.प्र.शासन मछली पालन विभाग
भोपाल

परिशिष्ट–एक

पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत मछली पालन के लिए पंचायतों द्वारा ग्रामीण तालाब तथा 1000 हैक्टर औसत जलक्षेत्र तक के सिंचाई जलाशय पट्टे पर देने के संबंध में

नीति एवं निर्देश

राज्य शासन द्वारा पंचायतों को जलाशया पट्टे पर देने हेतु अधिकार दिए गए हैं जहां कहीं भी नगर पंचायत का गठन हो चुका है एवं यदि उपरोक्त सीमा के जलक्षेत्र नगर पंचायत की सीमा में आते हों तो ऐसे जलक्षेत्र में मत्स्यपालन के लिए पट्टा देने का अधिकार संबंधित नगर पंचायत को होगा ।

अन्य विभाग/संस्थाओं के तालाब/जलाशय में मत्स्यपालन नवीन नीति के अनुसार नीति का पालन किया जावेगा । (समस्त विभाग/संस्थाओं के जलाशयों के जलक्षेत्र का पट्टा एवं उसके मत्स्य विकास हेतु प्रदेश के सभी जलक्षेत्र में मत्स्य पालन की एक समान नीति का पालन किया जावेगा।)

पंचायतों के स्वामित्व के अधीन तालाबों का रख–रखाव संबंधित पंचायतों द्वारा किया जावेगा। जल संसाधन विभाग के स्वामित्व वाले जलाशयों का रख–रखाव उक्त विभाग द्वारा की गई व्यवस्था के अनुरूप होगा । इन जलाशयों में पंचायतों को केवल मत्स्य पालन/विकास का ही अधिकारी होगा ।

जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित जलाशयों को पट्टे पर देने हेतु गठित समिति में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को भी सम्मिलित किया जावे ।

किसी तालाब/जलाशय का क्षेत्र दो या उससे अधिक पंचायतों की सीमा में आने पर उस तालाब का प्रबंधन उस पंचायत के अधीन होगा, जिसके अंतर्गत उस तालाब/जलाशय का अधिक क्षेत्र आता हो । विवाद की स्थिति में इसक निर्णय जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा लिया जावेगा । जलाशय/तालाब के प्रबंध एवं रख–रखाव में खर्च आदि कोई हो तो पंचायतों द्वारा उनके अधीन आने वाले क्षेत्र के अनुपात में वहन किया जावेगा । इसी प्रकार मत्स्यपालन से होने वाली आय का बंटवारा पंचायतों को उनके सीमा में में आने वाले क्षेत्रफल के अनुपात में होगा ।

इन अधिकारों के अधीन मत्स्योद्योग विभाग एवं मध्य प्रदेश राज्य मत्स्य महासंघ (सहकारी) मर्यादित भोपाल को आवश्यकतानुसार तालाब पट्टे पर दिए जा सकेंगे ।

तालाब/जलाशय रोजगार सृजन, पंचायतों की आय सहित आय वृद्धि एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थ के उत्पादन का महत्वपूर्ण संसाधन है । अतएव मत्स्य पालन के लिए तत्काल उपयोग किया जावे ।

2. **आवंटिती/हितग्राही –**

2.1 शासन की स्पष्ट नीति है कि मत्स्य पालन के लिए इन तालाबों/जलाशयों को गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले स्थानीय मछुओं को प्राथमिकता पर आवंटित किया जावे अर्थात् किसी भी दशा में इन जलक्षेत्रों की नीलामी नहीं की जावेगी । स्पष्ट है कि शासन के सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिये पंचायतें भी उतनी ही जिम्मेदार हैं ।

2.2 **मछुआ की परिभाषा–**

"मछुआरा वह है जो अपनी अजीविका का अर्जन मछली पालन, मछली पकड़ने या मछलीबीज उत्पादन आदि कार्य से करता हो । (वंशानुगत मछुआ जाति/ धीवर (धीमर, ढीमर) भोई, कहार,(कश्यप, सिंगराहा, सोंधिया, रायकवार, बाथम) मल्लाह, नावड़ा, केवट (मुड़हा, मुढ़ाहा, निषाद,) कीर, मांझी को प्राथमिकता क्रम मे रखा जावेगा) ।

2.3 **तालाब तथा सिंचाई जलाशयों का पट्टा आवंटन/तथा प्राथमिकता ।**

- 1 हैक्टेयर औसत जलक्षेत्र तक के तालाब व्यक्ति विशेष हितग्राही को।
- प्राथमिकता क्रम वंशानुगत मछुआ जाति/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग/सामान्य वर्ग, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ।
- 1 हैक्टेयर से 5 हैक्टेयर औसत जलक्षेत्र तक के तालाब/जलाशयः यदि इस क्षेत्र में पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति नहीं है तब, स्व–सहायता समूह/मछुआ समूह जो मछली पालन के निमित्त गठित हो और जिला मत्स्य पालन अधिकारी के व्दारा मान्य हो को ।
- प्राथमिकता क्रम वंशानुगत मछुआ जाति/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग/सामान्य वर्ग के स्व–सहायता समूह/समूह ।
- 5 हेक्ट. से 1000 हे0 औसत जलक्षेत्र तक के तालाब/जलाशय पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति को ।

- प्राथमिकता क्रम वंशानुगत मछुआ जाति/अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग /सामान्य वर्ग की पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को यदि उस प्राथमिकता क्रम की समिति पंजीकृत न हो तो, उक्त प्राथमिकता क्रम की प्राथमिकता के अनुसार स्व–सहायता समूह/समूह को लेकिन समूह को आवश्यक होगा कि एक वर्ष में समिति पंजीकृत करावें।

2.4 **मौसमी तालाब/जलाशय के जलक्षेत्र का आवंटन – निर्धारण**

- बारहमासी ग्रामीण तालाब का 1 हैक्टेयर जलक्षेत्र प्रति व्यक्ति को तथा सिंचाई जलाशय का न्यूनतम 4 हैक्टर जलक्षेत्र प्रति व्यक्ति को दिए जाने का प्रावधान होगा।

- मौसमी ग्रामीण तालाब 2 हैक्टेयर (यदि एक तालाब 2.00 हैक्टेयर का हो तो दिया जावेगा दूसरा जलक्षेत्र शामिल नहीं माना जावेगा) प्रतिव्यक्ति ।

2.5 मत्स्य सहकारी समितियों का कार्यक्षेत्र / प्रतिव्यक्ति जलक्षेत्र स्थानीय /समीपवर्ती जलक्षेत्र आधारित समितियों का गठन किया जावेगा। सदस्य संख्या के अनुसार निर्धारित जलक्षेत्रके आधार पर समिति का कार्यक्षेत्र निर्धारित होगा । जलक्षेत्र के अनुसार सदस्य संख्या बढानी होगी । कम जलक्षेत्र होने से उपयुक्तता के आधार पर जिल मत्स्य अधिकारी की अनुशंसा पर समिति का पंजीयन हो सकेगा ।
प्रति व्यक्ति जलक्षेत्र का निर्धारण ।

क्र.	जलक्षेत्र श्रेणी	प्रति सदस्य जलक्षेत्र (औसत) आवंटन दर
	ग्रामीण तालाब	
2.5.1	बाराह मासी	1 हैक्टेयर
2.5.2	मौसमी	2 हैक्टेयर
	सिंचाई जलाशय	
2.5.3	1000 हैक्टेयर औसत जलक्षेत्र तक	4 हैक्टेयर
2.5.4	1000 हैक्टेयर औसत जलक्षेत्र से अधिक के सभी जलाशय	10 हैक्टेयर

टीप – उसी कार्यक्षेत्र की पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति से तात्पर्य स्थानीय/समीपवर्ती जलक्षेत्र आधारित समिति से है ।

2.6 **प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों के पंजीयन हेतु सदस्य संख्या .**
प्रदेश की मत्स्य पालन समितियों के पंजीयन हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या बीस होगी ।

2.7 ऐसे प्रकरण जिसमें एक व्यक्ति को तालाबा का पट्टा दिया गया हो एवं पट्टा अवधि में पट्टा धारक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे हितग्राही से मछली पालन के लिए, प्राप्त किए गए ऋण की वसूली हो सके, इसलिए

उनके वैधानिक उत्तराधिकारियों को पट्टा शेष अवधि के लिए हस्तांतरित किया जावे जिससे कि उसके ऊपर बक़ाया ऋण की वसूली संभव हो सके ।

2.8 **तालाब/जलाशय का आवंटन (पुनरावंटन)**

पट्टा अवधि समाप्त होने के छ' माह पूर्व नवीन पट्टा/पुनर्आवटंन की कार्यवाही की जावेगी। जो तालाब/जलाशय दो बार विज्ञप्ति जारी होने के तीन माह पश्चात् भी पट्टे पर आवंटित नहीं हो सके उन्हें मत्स्योद्योग विभाग द्वारा संक्षम प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पट्टा आवंटन की कार्यवाही की जावेगी। जलक्षेत्र से प्राप्त पट्टा राशि का उपयोग बिन्दु क्रमांक 1.6 के अनुसार किया जावेगा ।

2.9 **मछली तथा अन्य जलोपज का पट्टा**

जिन तालाब/जलाशय में मछली पालन के साथ पूर्व से सिंघाड़ा, कमल गट्टा आदि जलोपज का पट्टा दिया जाता है उनसे सिर्फ मछली पालन कार्य हेतु निर्धारित पट्टा राशि ली जावेगी ।

2.10 पंचायतों के ऐसे तालाब जिनमें पूर्व से सिंघाड़ा की फसल ली जाती रही है, को मछली पालन के साथ–साथ सिंघाड़ा की फसल के लिए उसी समिति/समूह/व्यक्ति को जिसे मछली पालन का पट्टा दिया जा रहा है। सिंघाड़ा उत्पादन के लिए पट्टा दिया जावे यह इसलिए भी आवश्यक है ताकि दोनों ही प्रकार की खेती में विवाद न हो ।

2.11 पंचायतों द्वारा मछली पालन के लिए पट्टे पर दिए गए जलाशयों से पट्टा धारक सुचारू रूप से मछली पालन का कार्य कर सके इसलिए जलाशय में आवश्यक जलस्तर बनाए रखना आवश्यक है, अपरिहार्य कारणों से तालाब/जलाशय से पानी निकाले जाने की स्थिति निर्मित होने पर पट्टा धारक को पूर्व सूचना देना आवश्यक है बिना सूचना दिए तालाब/जलाशय से पानी निकाल दिए जाने के कारण हुई हानि की भरपाई संबंधित पट्टा धारक को पंचायत द्वारा करना होगी विवाद की स्थिति में अनुबंध की शर्तो के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।

2.12 प्राकृतिक आपदा से जिस वर्ष तालाब /जलाशय में मत्स्यबीज संचय न होने एवं मत्स्य बीज तथा संबंधित मत्स्य की क्षति होती है तो उस वर्ष की पट्टा राशि हितग्राहियों को देय नहीं होगी ।

2.13 नैसर्गिक आपदा यथा अतिवृष्टि, बाढ़, भूस्खलन, भूकम्प आदि से मछली फार्म (फिशफार्म) क्षतिग्रस्त होने पर मरम्मत के लिए प्रभावित को रूपये 6000/– (रूपये छः हजार मात्र) तक प्रति हैक्टर के मान से सहायता अनुदान दिया जावेगा । अनुदान की यह राशि उन मामलों में देय नहीं होगी जिनमें सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत सहायता/अनुदान दिया गया है ।

2.14 नैसर्गिक आपदा यथा सूखा, अतिवृष्टि, बाढ़ भूस्खलन, भूकम्प आदि से मछली पालने वालों को मछली बीज नष्ट हो जाने पर प्रभावित को रूपये

4000/– (रूपये चार हजार मात्र) तक प्रति हैक्टर के मान से सहायता अनुदान दिया जावेगा । अनुदान की यह राशि उन मामलों में देय नहीं होगी जिनमें मछली पालन विभाग की योजना के अंतर्गत एक बार दिए गए आदान–अनुदान (सबसिडी) के अतिरिक्त सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत सहायता/अनुदान दिया गया है ।

2.15 तालाब का जलस्तर किसी प्राकृतिक कारणवश कम हो जाने अर्थात् तालाब के बिल्कुल सूख जाने या उसके बांध के ऊपर से जल बह जाने अथवा किसी भी कारण से तालाब में संचित मछलियों की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण पट्टा धारक को यदि कोई हानि होती है, तो उसकी पूर्ति के लिए संबंधित पंचायत का कोई दायित्व नहीं होगा ।

2.16 जलाशय को पट्टे पर देने के लिए क्षेत्र में स्थित एक से अधिक पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों से निर्धारित समय अवधि में आवेदन प्राप्त होने की दशा में समितियों के पंजीयन दिनांक के आधार सबसे पुरानी क्रियाशील समिति को तालाब/जलाशय प्राथमिकता क्रम के अनुसार पट्टे पर दिया जा सकेगा ।

3. पट्टा अविध–

3.1 तालाब/जलाशय की पट्टा अवधि का निर्धारण

नवीन एवं पट्टा अवधि समाप्ति के उपरांत ग्रामीण तालाब/सिंचाई जलाशय का पट्टा आवंटन नवीन मत्स्य पालन नीति के अनुसार 10 वर्ष के लिये आवंटित किया जावेगा ।

3.2 मछली पालन एक विकासात्मक गतिविधि एवं व्यवसाय है, जिसके अंतर्गत सुधार के साथ ही इनपुट्स में राशि का नियोजन आवश्यक होता है । राशि के नियोजन के लिए आवंटिती को ऋण की व्यवस्था भी करना होता है । अतएव पट्टा कम से कम 10 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाय । (पंचायतों को मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम, 1993 की धारा 65 के अंतर्गत अचल संपत्ति को 3 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर देने का अधिकार है । अतएव उससे अधिक अवधि के लिए अनुमति प्राधिकृत अधिकारियों से लेकर पट्टे पर देने की कार्यवाही की जाए ।)

3.3 प्रथम वर्ष में पट्टे जारी करने की दिनांक से पट्टा अवधि प्रारंभ होकर 30 जून तक की होगी । यदि यह अवधि 6 माह या उससे अधिक की है, तो पट्टा धारक को पूरे वर्ष की पट्टा राशि जमा करनी होगी । यदि पट्टा अवधि 6 माह से कम होती है, तो पट्टा राशि का बारहमास के आधार पर औसत निकालकर शेष अविधि के लिए पट्टा राशि की गणना कर पट्टा राशि ली जावेगी ।

आगामी वर्ष में पट्टा अवधि 1 जुलाई से 30 जून तक की होगी ।

4. **पट्टा राशि का निर्धारण –**

ग्रामीण तालाब

'अ. मौसमी गामीण तालाब 0–10 हेक्टेयर तक (ऐसे जिनका जल फरवरी माह तक रहता है) — 300.00 रूपये प्रति हेक्टेयर

'ब. बारहमासी ग्रामीण तालाब 0 से 10 हेक्टेयर एवं इससे अधिक जलक्षेत्र के — 500.00 रूपये प्रति हेक्टेयर

ऐसे जलक्षेत्र जो 10 हैक्टर के ऊपर के हों एवं वे ग्रामीण तालाब की श्रेणी में आते हों उसमें भी बिन्दू क्र–अ एवं ब अनुसार पट्टा राशि का निर्धारण किया जावेगा।

सिंचाई जलाशय

अ. 10 से अधिक 50 हेक्टेयर तक के जलाशय — 200.00 रूपये प्रति हेक्टेयर

ब. 50 से अधिक 200 हेक्टेयर तक तक के जलाशय — 150.00 रूपये प्रति हेक्टेयर

स. 200 से अधिक 1000 हेक्टेयर तक के जलाशय — 75.00 रूपये प्रति हेक्टेयर

5. **पट्टा देने की प्रक्रिया–**

त्रि–स्तरीय पंचायतों के तालाब/जलाशय प्रबंधन के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए केवल मत्स्य पालन के पट्टा आवंटन की प्रक्रिया/तकनीकी प्रक्रिया के अधिकार मत्स्य पालन विभाग को दिए जावें ।

5.3 पट्टा धारक यदि समिति/समूह हो तो अनुबंध निष्पादन करते समय सदस्यों के नाम की सूची निवास स्थान के पते, आयु तथा पहचान चिन्ह के साथ सत्यापित प्रति संबंधित । जिला मत्स्योद्योग अधिकारी को प्रस्तुत करेगी । समिति/समूह एक ठहराव की प्रति भी प्रस्तुत करेगी । जिसमें सर्व सम्मति से समिति/समूह के अध्यक्ष के चयन की सूचना हो तथा उसे अनुबंध हेतु अधिकृत किया गया हो ।

5.4 प्रस्ताव पारित होने पर 3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पट्टे की अनुमति प्राधिकृत अधिकारी से प्राप्त की जावेगी । इस प्रकार सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने के पश्चात् पट्टा राशि जमा हो जाने पर संबंधित पंचायत द्वारा द्वितीय पक्षकार के साथ अनुबंध निष्पादित किया जावेगा । अनुबंध का प्रारूप परिशिष्ट–एक (क) संलग्न है ।

5.5 पट्टाधारक को नियमानुसार अनुबंध का पंजीयन कराना होगा ।

5.6 **स्टाम्प शुल्क से छूट–**

अधिनियम 1989 के तहत स्टाम्प शुल्क से छूट सभी तालाब एवं सिंचाई जलाशय जिनको मछली पालन कार्य हेतु पट्टे पर दिया जाता है के अनुबंध निष्पादन को स्टाम्प शुल्क से मुक्त रखा जावे ।

5.7 पट्टा धारक तालाब में संचित मछलीबीज, तालाब से उत्पादित मछली, विक्रय की गई मछली एवं सदस्यों को वितरित लाभ का संपूर्ण लेखा–जोखा निर्धारित पंजी में नियमित रूप से रखेगा तथा उसे पंचायत एवं विभाग के अधिकारियों को उनके निरीक्षण के समय दिखाने के लिए बाध्य होगा । पट्टाधारक प्रतिमाह निर्धारित प्रपत्र में तालाब में मत्स्य पालन एवं उत्पादन की जानकारी संबंधित जिला मत्स्योद्योग अधिकारी को देगा (निर्धारित पंजी एवं मासिक प्रगति प्रतिवेदन का प्रारूप संलग्न) परिशिष्ट–एक (ख 1–2)

6. ये निर्देश जारी होने की तिथि के पश्चात् निष्पादित किये जाने वाले पट्टों पर ही लागू होंगे ।

7. इन निर्देशों के अनुसार कार्यवाही न करने से किसी पंचायत के विरूद्ध न्यायालयीन कार्यवाही होने पर शासन पक्षकार नहीं होगा न ही राज्य शासन की किसी प्रकार की जिम्मेदारी होगी । संबंधित पंचायत स्वतः जिम्मेदार होंगी ।

8. संबंधित पंचायत संलग्न अनुबंध (परिशिष्ट एक–(क) को विधि सम्मत बनाने हेतु आवश्यकतानुसार विधि सलाहकार से परामर्श करें ।

परिशिष्ट–एक (क)

अनुबंध–पत्र
पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत 1000 हैक्टर औसत, जलक्षेत्र तक के जलाशय पट्टे पर देने का अनुबंध

ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/जिला पंचायत..... जिला ..... जिन्हें आगे प्रथम पक्षकार के नाम से संबोधित किया गया है तथा मछुआ सहकारी समिति, समूह/मत्स्य कृषक.....जिला..... जिन्हें द्वितीय पक्षकार के नाम से संबोधित किया गया है के मध्य तालाब/जलाशय के पट्टे का अनुबंध ।

1– यह अनुबंध आज दिनांक ..... को प्रथम पक्षकार ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/जिला पंचायत.....जिला.....तथा द्वितीय पक्षकार मछुआ सहकारी समिति/समूह/मत्स्य कृषक.....जिला..... के मध्य उनकी स्वेच्छानुसार निम्न रूपेण संपन्न किया गया है ।

2– यह कि द्वितीय पक्षकार मछुआ सहकारी समिति/समूह/मत्स्य कृषक..... जिला..... द्वारा अनुरोध किए जाने व उसके द्वारा लगत वहन किये जाने के प्रस्ताव पर .....द्वितीय पक्षकार को तालाब/जलाशय.....खसरा नं..... ...रकबा.....हैक्टर.....को मछली पकड़ने एवं मछलीपालन के लिए आज दिनांक ..... से दिनांक ..... की अवधि के लिए पट्टा ..... दिया गया है ।

3– उक्त पट्टे के लिए प्रारम्भिक वार्षिक पट्टा राशि रूपये ..... शब्दों में .... होगी ।

4– द्वितीय पक्षकार को उक्त तालाब/जलाशय/ के लिये निम्नानुसार वार्षिक पट्टा राशि प्रथम पक्षकार को देय होगी ।

प्रथम वर्ष दिनांक ..... से दिनांक ..... तक रूपये .....
द्वितीय वर्ष दिनांक ..... से दिनांक ..... तक रूपये .....
तृतीय वर्ष दिनांक ..... से दिनांक ..... तक रूपये .....
चतुर्थ वर्ष दिनांक ..... से दिनांक ..... तक रूपये .....
पंचम वर्ष दिनांक ..... से दिनांक ..... तक रूपये .....
षष्टम वर्ष दिनांक ..... से दिनांक ..... तक रूपये .....
सप्तम वर्ष दिनांक ..... से दिनांक ..... तक रूपये .....
अष्टम वर्ष दिनांक ..... से दिनांक ..... तक रूपये .....
नवम वर्ष दिनांक ..... से दिनांक ..... तक रूपये .....
दशम वर्ष दिनांक ..... से दिनांक ..... तक रूपये .....

5. पट्टे पर दिए जाने वाले तालाब/जलाशय की प्रथम वर्ष की पट्टा राशि पट्टा धारक द्वारा अनुबंध निष्पादन के पूर्व संबंधित पंचायत कोष में जमा करनी होगी । आगामी वर्षो में पट्टा राशि 1 अप्रैल से 30 जून तक की अवधि में द्वितीय पक्षकार को संबंधित पंचायत के कोष में जमा करनी होगी ।

6. **पट्टा राशि भुगतान करने की किश्तें–**
पट्टा राशि अधिकतम तीन समान किश्तों में चार माह के अंतराल में प्राप्त की जाना चाहिए। यदि समिति/समूह/व्यक्ति समय पर पट्टा राशि भुगतान नहीं कर पाती है तो, प्रकरण पर विचार कर बकाया राशि शीघ्र जमा करने की स्थिति में बंद ऋतु को छोडकर दो माह की छूट देकरं दण्ड–ब्याज 2 प्रतिशत वार्षिक दर से लगाया जावेगा ।

7. पट्टे की अवधि समाप्त होने पर या अवधि के पहले ही उसे शर्तो के अधीन समाप्त किए जाने पर द्वितीय पक्षकार द्वारा उस तालाब का कब्जा प्रथम पक्षकार को उसी स्थिति में दिया जावेगा जैसा कि उसने प्राप्त किया था तथा उस समय यदि कोई मछली होगी तो उसके लिये द्वितीय पक्षकार किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए हकदार नहीं होगा ।

8. द्वितीय पक्षकार जलाशय में मत्स्य विकास हेतु किसी वाणिज्यक बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिये पट्टा रहन/बंधक रखने का हकदार होगा ।

9. द्वितीय पक्षकार को मध्यप्रदेश मत्स्योद्योग अधिनियम, 1948 म.प्र. नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम, 1972 म.प्र. मत्स्य क्षेत्र (संशोधन अधिनियम 1981) एवं उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों तथा समय–समय पर शासन द्वारा अनुमोदित पट्टा शर्तो में किए गए संशोधनों का पालन करना होगा ।

10. द्वितीय पक्षकार द्वारा पट्टे पर नियमानुसार इस अनुबंध का पंजीयन कराना होगा ।

11. तालाब का जलस्तर किसी प्राकृतिक कारणवश कम हो जाने अर्थात तालाब के बिल्कुल सूख जाने या उसके बांध के ऊपर से बह जाने अथवा किसी भी कारण से तालाब में संचित मछलियों की आकस्मिक मृत्यु हो जाने या पेयजल के लिए संरक्षित होने अथवा अन्य किसी भी कारण से द्वितीय पक्षकार को यदि कोई हानि होती है तो उनकी पूर्ति के लिए.....

12. पंचायतों द्वारा मछली पालन के लिये पट्टे पर दिये गए जलाशयों से पट्टाधार सुचारू रूप से मछली पालन का कार्य कर सकें इसलिए जलाशय में आवश्यक जलस्तर बनाए रखना आवश्यक है अपरिहार्य कारणों से तालाब/जलाशय से पानी निकाले जाने की स्थिति में पट्टाधारक को 7 दिवस में सूचना देना होगा ।

13. सिंचाई विभाग के जलाशयों के लिए द्वितीय पक्षकार को सिंचाई विभाग के समस्त नियम एवं अधिनियमों का भी पालन करना होगा जो तत्समय लागू होंगे ।

14. द्वितीय पक्षकार जलाशय में संचित मछलीबीज तालाब से उत्पादित मछली, विक्रय की गई मछली एवं सदस्यों को वितरित लाभ का सम्पूर्ण लेखा–जोखा निर्धारित पंजी [परिशिष्ट–एक(क–1)] में नियमित रूप से रखेगा तथा उसे प्रथम पक्षकार एवं मछली पालन विभाग के अधिकारियों को उनके निरीक्षण के समय दिखाने के लिए बाध्य होगा । द्वितीय पक्षकार प्रतिमाह निर्धारित प्रपत्र में तालाब से मत्स्यपालन एवं उत्पादन की जानकारी प्रथम पक्षकार को देगा [परिशिष्ट–एक(क–2)]

15. द्वितीय पक्षकार अथवा उसका प्रतिनिधि जलाशय में विषैली वस्तु विस्फोटक तथा किसी अन्य प्रदूषणकारक वस्तु का उपयोग नहीं करेगा ।

16. द्वितीय पक्षकार तालाब के धार्मिक घाट, सार्वजनिक तथा मत्स्याखेट हेतु वर्जित स्थलों की परिधि में मत्स्याखेट नहीं करेगा ।

17. द्वितीय पक्षकार को तालाब का पट्टा अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा यदि ऐसा किया जाता है तो प्रथम पक्षकार द्वारा जलाशय का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा ।

18. **पट्टाधारक द्वारा जलाशय/तालाब के विकास कार्य करना**
तालाब/जलाशय में मत्स्य पालन का कार्य पट्टा धारक व्दारा ही कराया जावेगा, यदि यह कार्य पट्टाधारक द्वारा अन्य व्यक्ति से अनुबंध संपादित कर कराया जाता है तो उस तालाब/ जलाशय का पट्टा निरस्त किया जावेगा ।

19. द्वितीय पक्षकार जलाशय में मत्स्यबीज विभाग/महासंघ/विभाग द्वारा अनुमोदित/अभि प्रमाणित निजी मत्स्य पालकों (प्रायवेट हैचरी) से क्रय कर संचित करेगा ।

20. द्वितीय पक्षकार विभाग को मत्स्य प्रजनक उपलब्ध कराएगा ।

21. द्वितीय पक्षकार तालाब से उत्पादित मछली का कम से कम 10 प्रतिशत भाग स्थानीय उपभोक्ताओं के लिए प्रचलित दर पर उपलब्ध कराएगा ।

22. पट्टा धारक एवं जिला पंचायत के मध्य इस अनुबंध के या इसके किसी अंश के या शर्तो के क्रियान्वयन के संबंध में कोई विवाद होने पर पंचायत राज अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंन्तिम तथा उभयपक्षों को मान्य होगा ।

23. इस संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेश द्वितीय पक्षकार को मान्य होगा।

आज दिनांक ———————————— को निम्न साक्ष्यगणों की उपस्थिति में इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए ।

प्रथम पक्षकार
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, भोपाल

द्वितीय पक्षकार
————————————

साक्षीगण का नाम तथा पता :

1 .....
.....

2 .....
.....

प्रपत्र
परिशिष्ट–एक (ख–1)
पट्टा धारक द्वारा संधारित की जाने वाली पंजी

(क) 1. पट्टाधारक का नाम .....
2. जलाशय का नाम .....
3. औसत जलक्षेत्र (हैक्टर में).....
4. पट्टा आदेश क्र./दिनांक.....
5. पट्टा अवधि .....

(ख)	उपयोग की तिथि	मत्स्यबीज (हजार मानक)	रसायनिक खाद (मात्रा कि.ग्रा.)	गोबर खाद (मात्रा कि.ग्रा.)	पूरक आहार खली/कनकी (मात्रा कि.ग्रा.)	माइक्रोन्यूट्रिएण्ट (मात्रा कि.ग्रा.)	अन्य खाद (मात्रा कि.ग्रा.)
1	2	3	4	5	6	7	8

(स) मत्स्योत्पादन एवं आयः

क्र	मत्स्याखेट की दिनांक	जातिवार निकाली गई मछली का वजन			योग	स्थानीय बाजार में विक्रय की गई मछली का वजन
		मेजर कार्प	लो.मेजर	लो.माइनर		
1	2	3	4	5	6	7

बाहर विक्रय हेतु भेजी गई मछली का वजन	योग (7+8)	मछली विक्रय से कुल प्राप्त आय	मत्स्याखेट में संलग्न व्यक्तियों की संख्या	तिथिवार प्रति व्यक्ति द्वारा निकाली गई मछली की मात्रा (कि.ग्राम)
8	9	10	11	12

प्रति व्यक्ति को दिया गया पारिश्रमिक का भुगतान (रू.)	कुल पारिश्रमिक का भुगतान	कुल व्यय (मत्स्यबीज मूल्य, खाद, खुराक एवं रख–रखाव)	योग (14+15)	लाभ (8–14)
13	14	15	16	17

ifjf'k"V&,d ¼k&2½
ekfld izxfr izfrosnu

rkyk c dk uke	ty{ks = gsD Vj esa	okf"kZd iV~Vk jkf'k	o"kZ esa izkIr iV~ Vk jkf'k ¼:- esa- ½	lafpr eRL;c ht dh la[;k	fudk yh xbZ eNyh dh ek=k fd- xzk-	foØ ; dh xbZ eNy h dh ek= k ¼fd - xzk ½	eNy h foØ; ls izkIr vk; ¼:- esa ½	dq y dk; Z fno l	dk;Z jr O;f Dr dh la[;k	izfrO;f Dr vk; ¼:- esa½	vU; fooj. k
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

सही
पट्टा धारक का नाम

परिशिष्ट – तीन

1.6 मत्स्यबीज उत्पादन, प्रजनन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण इत्यादि आवश्यकताओं के लिए मत्स्योद्योग विभाग के नियंत्रण में रखे जाने वाले जलाशय ।

क्र	जिला	जलाशय का नाम	औसत जलक्षेत्र हैक्टर में
1	रायसेन	दाहोद	460
2	सीहोर	जमुनिया	186
3	सीहोर	काकरखेड़ा	100
4	विदिशा	नरैन	357
5	बैतूल	चन्दौरा	214
6	बैतूल	सारणी	
7	खरगौन	साटक	261
8	खण्डवा	भगवंत सागर (सुक्ता)	768
9	इन्दौर	यशवंत सागर	396
10	इन्दौर	बिलावली	68
11	झाबुआ	मोद सागर	82
12	उज्जैन	अरनिया बहादुर	471
13	रतलाम	धोलावड़	365
14	रतलाम	शिवगढ़	42
15	मंदसौर	मोरबंद	180
16	शाजापुर	चीलर	623
17	देवास	चन्द्रकेशर	308
18	देवास	दौलतपुर	46
19	ग्वालियर	पहसारी	490
20	ग्वालियर	तिघरा	1071
21	ग्वालियर	हरसी	1493
22	मुरैना	कोतवाल	1327
23	दतिया	रामसागर	140
24	दतिया	लाला का ताल	11
25	शिवपुरी	पारोंच	230
26	शिवपुरी	नागदा	202
27	गुना	गोपालपुरा	30
28	सागर	बीला	597
29	सागर	मंसूरवारी	98
30	दमोह	माला	293

31	दमोह	गढ़ाघाट	118
32	टीकमगढ़	ग्वालसागर	206
33	श्योपुर	आबदा	402
34	छतरपुर	बेनीसागर (बेनीगंज)	380
35	छतरपुर	बूढ़ा सागर	245
36	पन्ना	देवेन्द्र नगर	143
37	रीवा	गोविन्दगढ़	285
38	रीवा	जरमोहरा	265
39	सतना	नकतरा	45
40	उमरिया	उमरार	208
41	शहडोल	बागन	15
42	कटनी	बहोरीबंद	650
43	मण्डला	थावर	1297
44	मण्डला	जन्तीपुर	29
45	सिवनी	हजारिया	7
46	बालाघाट	पाथरी	33
47	छिंदवाड़ा	कन्हारगांव	346

मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ (सहकारी) मर्यादित भोपाल

क्र	जिला	जलाशय का नाम	औसत जलक्षेत्र हैक्टर में
1	भोपाल	केरवा	347
2	रायसेन	बारना	4791
3	रायसेन	हलाली	4795
4	होशंगाबाद	तवा	12145
5	सीहोर	कोलार	1928
6	मंदसौर	गांधीसागर	41317
7	जबलपुर	बरगी	16649
8	सिवनी	भीगढ़	2328
9	खण्डवा	इंदिरासागर	49855
10	रीवा	बाणसागर	26511

परिशिष्ट–चार

जिला पंचायत द्वारा मछली पालन के लिये मछुआ सहकारी समितियों को मध्य प्रदेश मछुआ सहकारी समितियां(ऋण/अनुदान) नियम 1972 के अधीन ऋण/अनुदान देने के अधिकार :–

1– **प्रयोजन :**

वे प्रयोजन जिसके लिये ऋण या अनुदान अथवा दोनों स्वीकृत किये जा सकेंगे ।

1.1 मछली पकड़ने के उपकरण, नाव, जाल, कांटा आदि ।

1.2 नौका तैयार करने की सामग्री और मछली लाने ले जाने के लिये वाहन।

1.3 अन्य प्रयोजन ।

1.3.1 मत्स्यबीजों की खरीद एवं संचयन के लिये ।

1.3.2 ताल और तालाब की मरम्मत के लिये ।

1.3.3 ताल और तालाब की पट्टे की रकम की अदायगी करने के लिये ।

1.3.4 प्रबंध पर व्यय करने के लिये

2– **स्वीकृति के लिये अधिकार एवं सीमा**

2.1 जिला पंचायतों को उपरोक्त प्रयोजन के लिये मछुआ सहकारी समिति को नियम अन्तर्गत् ऋण/अनुदान स्वीकृत करने के लिये जिला पंचायत को इस कार्य के लिये प्रदाय किये गये बजट आवंटन की समीा में ऋण अथवा अनुदान या दोनों स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

2.2 साधारणतः किसी समिति को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के समय उस पर विद्यमान समस्त ऋण भारों का मूल्य घटाने के पश्चात् समिति की हिस्सा पूॅजी सहित कुल आस्तियों के मूल्य के पांच गुना तक तथा विशेष परिस्थितियों में कुल आस्तियों के आठ गुना तक ऋण स्वीकृत किया जा सकेगा ।

2.3 मछुआ सहकारी समिति को स्वीकृत किये जाने वाले ऋण की वापसी के संबंध में पूर्ण समाधान होने पर स्वीकृत किया जावेगा ।

2.4 स्वीकृत किये जाने वाले ऋण पर शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित ब्याज दर अनुसार ब्याज देय होगा ।

2.5 मछुआ सहकारी समितियों को स्वीकृत किये गये ऋण प्रतिभूति किये जावेंगे ।

2.6 मछुआ सहकारी समिति स्वीकृत ऋण, ऋण स्वीकृति आदेश में निर्धारित की गई अवधि एवं किश्तों में ब्याज सहित वापस करेगी, किन्तु यह अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

2.7 **अनुदान स्वीकृत करने की सीमा तथा दर :**

2.7.1	नौका तथा नौका तैयार करने की सामग्री की खरीद के लिये	उपकरण की लागत का 25 प्रतिशत
2.7.2	नायलोन	33,1/3 प्रतिशत या 15.00 रूपये प्रति किलो ग्राम जो भी कम हो ।
2.7.3	सूती डोरी	33,1/3 प्रतिशत या 3.00 रूपये प्रति किलो ग्राम जो भी कम हो ।
2.7.4	सन की रस्सी	33,1/3 प्रतिशत या 15.00 रूपये प्रति किलो ग्राम जो भी कम हो ।

2.8 **अन्य प्रयोजनों के लिये :**

2.8.1	मत्स्यबीज खरी और संचयन के लिये	केवल मत्स्यबीज की खरीद के मूल्य का 50 प्रतिशत
2.8.2	पट्टे की रकम की देनगी करने तथा ताल और तालाब की मरम्मत के लिये	मरम्मत लागत का 50 प्रतिशत
2.8.3	व्यवस्था पर व्यय	व्यवस्था के व्यय पर 50 प्रतिशत

2.9 मछुआ सहकारी समिति को एक अप्रैल से आगामी 31 मार्च के मध्य में एक ही वित्तीय वर्ष में अधिकृत विक्रेताओं से खरीदे गये मछली पकड़ने के उपकरणों पर नियमानुसार अनुदान स्वीकृत किया जावेगा ।

2.10 इन नियमों के अन्तर्गत्, विभागीय अधिकारियों द्वारा ऋण/अनुदान स्वीकृत करने के अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जावेगा ।

3 **आर्थिक सहायता के लिये आवेदनः**

3.1 ऋण अथवा अनुदान यो दोनों प्राप्त करने की इच्छुक जिले की मछुआ सहकारी समितियॉ इन निर्देशों के साथ संलग्न निर्धारित परिशिष्ट–चार (क) में आवेदन जिला पंचायत को करेंगी ।

3.2 जिला पंचायत, मछुआ समिति से ऋण/अनुदान स्वीकृत करने के लिये प्राप्त आवेदन का परीक्ष करेंगी । प्राप्त आवेदन सहायक पंजीयक, सहकारी समितियों को भेजकर, समिति के गठन, कार्य तथा वित्तीय स्थिति के संबंध में जांच करावेगी और उनकी अनुशंसा प्राप्त करेगी । सहायक पंजीयक से अनुशंसा प्राप्त करने के उपरान्त मछुआ सहकारी

समिति को ऋण/अनुदान स्वीकृत करने की पात्रता के अनुसार जिला पंचायत बजट उपलब्धता की स्थिति के अनुसार स्वीकृत करेंगी ।

3.3 मछुआ सहकारी समिति को ऋण/अनुदान संलग्न प्रारूप परिशिष्ट चार (ख) एवं चार (घ) में स्वीकृत किये जावेंगे ।

3.4 मछुआ सहकारी समिति स्वीकृत किये गये ऋण का वितरण एक किश्त में किया जावेगा ।

4 **ऋण की वसूली**

4.1 मछुआ सहकारी समिति को जिस कार्य के लिये ऋण मंजूर किया गया है, उसके लिये उपयोग न कर अन्य कार्य पर व्यय करने पर ऋण की पूरी राशि उस पर देय ब्याज सहित तत्काल वसूली योग्य हो जावेगी ।

4.2 मछुआ समिति को दिये गये ऋण की किश्त ब्याज सहित समय पर भुगतान करने में चूक करने पर देय शेष मूलधन और ब्याज की राशि तत्काल देय हो जायेगी ।

परन्तु ऋण की दी गई रकम वसूल करने के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत देय सम्पूर्ण राशि वसूल करने के बजाय उस किश्त पर जिसकी समय पर अदायगी नहीं गई, चूक की अवधि के लिये उचित वार्षिक ब्याज दर से प्रभारित कर सकेंगे ।

4.3 बकाया ऋण वसूली ।

ऋण की बकाया राशि वसूली भू–राजस्व की बकाया की रीति अनुसार की जावेगी।

4.4 मछुआ सहकारी समिति को जिस बजट शीर्ष से ऋण स्वीकृत किया गया है उसी बजट शीर्ष में ऋण की वापसी की किश्त जमा करेगी तथा ऋण पर देय ब्याज आय शीर्ष–0049 राज्य प्राप्तियां–04– राज्य क्षेत्रों की सरकारों से ब्याज प्राप्तियां 195– सहकारी समितियों से ब्याज प्राप्ति में जमा होगा ।

5 समिति को इन नियमों के अधीन कोई ऋण या अनुदान स्वीकृत/भुगतान किया गया हो उसके उपयोग समिति के कार्य संचालन के संबंध का प्रतिवेदन या जानकारी प्रस्तुत करना होगा ।

6 समिति स्वीकृत किये गये ऋण के फलस्वरूप जो उपकरण एवं सम्पत्ति प्रतिभूति स्वरूप बंधक रखी गई है, को अच्छी स्थिति में बनाये रखेगी ।

7 ऐसी समिति, जिला पंचायत द्वारा अधिकृत प्राधिकारी या व्यक्ति को परिसरों मछली पकड़ने के उपकरणों, नगद सिलक तथा समिति के लेखाओं का निरीक्षण करने की सुविधा देने के लिये बाध्य होगी ।

8 शास्ति पेनाल्टी (इन नियमों में से किसी नियम का अथवा ऋण/अनुदान स्वीकृति की शर्त को भंग करने की दशा में नियम में निहित प्रावधान अनुसार समिति पर शास्ति लगाई जावेगी ।

9 ऋण तथा अनुदान स्वीकृत करने के अभिलेख और पंजी रखना ।

मछुआ समिति को ऋण तथा अनुदान स्वीकृत करने वाला अधिकारी, समिति को ऋण / अनुदान स्वीकृत करने संबंधी पूर्ण अभिलेख तथा पजी संधारित कर उसमें विवरण दर्ज करेगा ।

10 **विवाद का निपटारा :**

मछुआ सहकारी समिति उधार सहायकी नियम की कंडिका 22 अनुसार विवाद निपटाये जावेंगे ।

परिशिष्ट–चार–(क)

प्रारूप

उधार /सहायकी की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र

1. मछुआ सहकारी समिति का पूरा नाम (नाम दिया जाये, जो समिति की उपविधियों में उल्लिखित है और रजिस्ट्रीकृत है) ।
2. संबंधित तहसील और जिले सहित समिति का रजिस्ट्रीकृत पता ।
3. तारीख सहित रजिस्ट्रीकरण क्रमांक
4. समिति की वर्तमान गतिविधियां
5. पट्टे की रक़म तथा पट्टे की कालावधि तथा ब्यौरा सहित उन तालाबों के नाम, जिनमें मछली पकड़ने के अधिकार खरीद लिए हों ।
6. सदस्यों की संख्या
7. समिति का पूर्ववर्ती वर्ष का संतुलन पत्र तथा हानि–लाभ लेखा विवरण ।
8. समिति की गतिविधियों के विस्तार की भावी योजना, यदि कोई हो ।
9. उधार या सहायकी रक़म, जिसके लिए आवेदन किया गया है ।
10. प्रयोजन जिसके लिये उधार या सहायकी अपेक्षित है ।
11. उन किश्तों की संख्या, जिनमें ब्याज सहित उधार वसूल किया जा सकेगा ।
12. यदि समिति ने किसी अन्य स्त्रोत से उधार प्राप्त किया हो, तो निम्नलिखित शीर्षो के अंतर्गत ब्यौरे दीजिए –
    - उधार किससे लिया गया है,
    - उधार लेने की तारीख,
    - वह प्रयोजन या वे प्रयोजन जिनके लिए उधार लिया गया है,
    - उधार के लिए दी गई प्रतिभूति,
    - उधार की रक़म,
    - उन किश्तों की रक़म, जिनका प्रति संदाय किया जा चुका है,
    - उधार की वह शेष रक़म जिसका भुगतान किया जाना है ।

13. उधार और सहायकी के लिए आवेदन–पत्र के समर्थन में प्रबंध समिति के संकल्प की सत्य प्रतिलिपि तथा उधार या सहायकी की मंजूरी, को शासित करने वाले नियमों की स्वीकृति भी संलग्न करें ।

(घोषणा)

हम..... सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करते हैं कि हमने मध्य प्रदेश मछुआ सहकारी समितियों (उधार तथा सहायकी) नियम, 1972 पढ़ लिए हैं और हम एतदद्वारा ऊपर उल्लेखित समिति के लिये और उसकी ओर से उक्त समिति को उक्त नियमों के उपबंधों के आबद्ध करने के लिए सहमत हैं और एतद्द्वारा यह निष्ठापूवर्क अभिकथित करते हैं और यह घोषणा करते हैं कि आवेदित उधार/ सहायकी प्राप्त करने के लिए ऊपर किए गए कथन तथा दी गई जानकारी, हमारे ज्ञान तथा विश्वास से सत्य है ।

.....
समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर

साक्षियों के हस्ताक्षर

1. .....
2. .....

.....
समिति के सचिव के हस्ताक्षर

साक्षियों के हस्ताक्षर

1. .....
2. .....

परिशिष्ट–चार (ख)

क्रमांक / ..... दिनांक.....

:: आदेश ::

विषय– मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित.....को आर्थिक सहायता।
संदर्भ– आपका पत्र क्रमांक.....दिनांक.....

1. मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित.....विकास खण्ड..... जिला.....पंजीयन क्रमांक..... दिनांक..... को मध्य प्रदेश मछुआ सहकारी समितियां (उधार तथा सहायकी) नियम, 1972 के अंतर्गत वर्ष ..... में प्रयोजन का नाम.....हेतु रूपये. .....(अंकन.....)
   केवल संलग्न शर्तो के तहत बजट उपलब्ध होने की दशा में ऋण / अनुदान स्वीकृत किया जाता है ।
2. उक्त व्यय वर्ष ..... में बजट मांग संख्या–16–मछली पालन मुख्य शीर्ष 6405 मीन उद्योग के लिए उधार (आयोजना) 195– मत्स्यबीज सहकारी समितियों को कर्जे 0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 9977 मत्स्य सहकारी समितियों को कर्जे का व्यय का विस्तृत शीर्ष– 30–000–ऋण तथा अग्रिम अंतर्गत विकलनीय होगा ।
   उक्त व्यय वर्ष ..... में बजट मांग संख्या–16–मछली पालन मुख्य शीर्ष–2405 मीन उद्योग लघु शीर्ष (120)–सहकारी समितियों– परियोजना क्रमांक 4422–मछुआ सहकारी समितियों को अनुदान व्यय का विस्तृत शीर्ष–39–14–000 आर्थिक सहायता, सहायक अनुदान अंतर्गत विकलनीय होगा ।
3. समिति को ऋण राशि का वितरण करने के पूर्व समिति के बंधक विलेख निष्पादित करावें ।

4. समिति को दिए गए ऋण/अनुदान के उपयोग करने संबंधी प्रमाण–पत्र समिति से प्राप्त कर भेजा जावे ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत.....

संलग्न–1. ऋण/अनुदान मंजूरी उपयोगिता हेतु प्रारूप
2. मूलतः प्रस्ताव प्रकरण

पृ0क्र0/ /म/ भोपाल, दिनांक.....

प्रतिलिपि –

1. अध्यक्ष,.....मछुआ सहकारी समिति,..... की ओर सूचनार्थ
2. सहायक संचालक मत्स्योद्योग, जिला पंचायत.....म.प्र.
3. कोषालय अधिकारी, जिला.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत.....

नोट – जिस बजट शीर्ष में बजट प्रावधान उपलब्ध हो, वही बजट शीर्ष स्वीकृति पत्र में अंकित किया जावेगा ।

परिशिष्ट–चार (ग)

प्रमाणित किया जाता है कि.....मछुआ सहकारी समिति मर्यादित..... पंजीयन क्रमांक.....दिनांक.....मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत.....से उनके पत्र क्रमांक.....दिनांक..... से प्राप्त ऋण/अनुदान राशि रूपये.....(अंकन.....) केवल का उपयोग समिति द्वारा (प्रयोजन का नाम.....) के लिए किया गया ।

प्रबंधक,
सहकारी समिति

परिशिष्ट–चार (घ)

मछुआ सहकारी समिति का ऋण/अनुदान मंजूरी प्रारूप

1.	मंजूर करने वाला प्राधिकारी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
2.	मंजूरी पत्र क्रमांक दिनांक	क्रमांक.....दिनांक.....
3.	विभाग प्रमुख जिसकी हिसाब पुस्तिका में ऋण/अनुदान समायोजित किया जाता है ।	संचालक मत्स्योद्योग मध्य प्रदेश भोपाल
4.	ऋण/अनुदान जिसको मंजूर किया गया समिति का नाम/पंजीयन क्र. सहित	.....
5.	मंजूर की गई राशि रक़म अंकों में तथा शब्दों में	.....
6.	मंजूरी कब तक वैध है	.....
7.	ऋण/अनुदान का प्रयोजन	.....
8.	रकम नगद दी जाना या समायोजित की जाना है	.....
9.	लेखा का शीर्ष जिसमें मंजूरी शुदा रकम विकलनीय है ।	1. मांग संख्या–16–मछली पालन मुख्य शीर्ष 3605–मीन उद्योग के लिए उधार (आयोजना)–195– मत्स्यबीज सहकारी समितियों को कर्जे–9977–मत्स्य सहकारी समितियों को कर्जे व्यय का विस्तृत शीर्ष–36–000 ऋण तथा अग्रिम अंतर्गत. 2. मांग संख्या–16–मछली पालन मुख्य शीर्ष 4427–मछुआ सहकारी समितियों को अनुदान व्यय का विस्तृत शीर्ष–39–14–000 आर्थिक सहायता, सहायक अनुदान अंतर्गत विकलनीय होगा ।
10.	ऋण स्वीकृति की दशा में ऋण वापसी की अवधि (जो दो वर्ष से अधिक न होगी)	
अ.	दिनांक और वर्ष जिसमें ऋण वापसी अदायगी शुरू होना है ।	.....
ब.	ऋण वापसी की अदायगी की तारीख तथा किश्त का विवरण	.....
स.	ऋण पर ब्याज दर (साधारण तथा दंडित ब्याज	.....

दर सहित)

द. ऋण वापसी की अदायगी हेतु स्थान अविध यदि कोई हो तो । .....

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत.....

परिशिष्ट–पाँच (क)

योजना का नाम	:	मत्स्य पालन प्रसार (राज्य आयोजना)
उद्देश्य	:	अनुसूचित जाति/जनजाति के मछुआरों को मछली पालन के लिए अनुदान
योजना का स्वरूप एवं आच्छादन	:	आच्छादन–संपूर्ण मध्य प्रदेश स्वरूप– ऐसे अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के मत्स्य पालक जो ग्राम पंचायतों के अथवा अन्य शासकीय तालाब पट्टे पर लेकर मछली पालन करें, को निम्नानुसार अनुदान की पात्रता है

कार्य जिसके लिए अनुदान की पात्रा होगी	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	सीमा(तीन वर्ष में स्वीकृत की ज सकने वाली अधिकतम राशि)
तालाब की पट्टा राशि भुगतान हेतु	100%	50%	25%	8500/-
तालाब में मछली बीज संचयन हेतु	100%	50%	25%	1300/-
नाव, जाल क्रय हेतु	100%	100%	-	2500/-
मत्स्य खाद्य,उर्वक, खाद, दवा आदि	100%	50%	25%	2700/-
			योगः	15000/-

योजना में मत्स्य पालक को अनुदान का नगद भुगतान न दिया जाकर वस्तु–विशेष के रूप में दिया जाता है ।

हितग्राही की अर्हताएं	:	हितग्राही को अनुसूचित जनजाति अथवा अनुसूचित जाति का होने तथा तालाब पट्टे पर लेकर मछली पालन करने की दशा में अनुदान देय है ।
हितग्राही चयन प्रक्रिया	:	ऐसे सभी अनुसूचित जनजाति/जाति के मछली पालन में संलग्न व्यक्ति निर्धारित प्रारूप में जनपद पंचायत को अनुदान के लिए आवेदन करेंगे । प्रारूप में जनपद पंचायत को अनुदान तभी देय होगा जबकि उसके द्वारा इस कार्य के लिए किसी अन्य योजना में कोई सहायता प्राप्त न की हो ।
योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया	:	जनपद पंचायत मत्स्य पालकों से निर्धारित प्रारूप पर आर्थिक सहायता के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, अनुदान की पात्रता के विषय में छानबीन कर प्रस्ताव अपनी अनुशंसा के साथ जिला पंचायत को अग्रेषित

करेंगी । जिस कार्य के लिए अनुदान की पात्रता होगी उस के अनुसार परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिम जाति विकास परियोजना से स्वीकृति प्राप्त कर जिला पंचायत अनुदान का भुगतान संबंधित संस्था जिससे कि सामग्री क्रय की गई है, को कर मत्स्य पालक को वस्तु के रूप में सहायता प्रदान करेगा ।

परिशिष्ट–पाँच (ख)

योजना का नाम	:	सिंचाई जलाशयों में मत्स्योद्योग का विकास
उद्देश्य	:	जलाशयों में मत्स्योत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाना
योजना का स्वरूप एवं आच्छादन	:	संपूर्ण मध्य प्रदेश पंचायतों द्वारा 1000 हैक्टर औसत जलक्षेत्र तक के जलाशयों को शासन नीति एवं निर्धारित प्राथमिकता अनुसार मछली पालन के लिए लम्बी अवधि के लिए पट्टे पर देना । मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ द्वारा 2000 हैक्टर औसत जलक्षेत्र से अधिक के जलाशयों में मत्स्योद्योग विकास एवं, प्रबंधन का कार्य करना ।
योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया	:	पंचायतों द्वारा क्षेत्र में मछली पालन हेतु जलाशय पट्टे पर देने के लिए व्यापक प्रचार–प्रसार कर आवेदन प्राप्त करना । शासन नीति निर्देशानुसार आवेदनों का परीक्षण कर उपयुक्त हितग्राही/समूह/व्यक्ति को पट्टे पर देना।

परिशिष्ट–पाँच (ग)

योजना का नाम	:	मछुआ सहकारिता
उद्देश्य	:	पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को मछली पालन हेतु आर्थिक सहायता
योजना का स्वरूप एवं आच्छादन	:	मध्यप्रदेश मछुआ सहकारी समितियां ऋण/अनुदान नियम 1972 अंतर्गत प्रदेश में सभी वर्ग की पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को मछली पालन हेतु उपकरण एवं अन्य प्रयोजनों यथा, तालाब का पट्टा, मत्स्य बीज क्रय, नाव, जाल क्रय इत्यादि हेतु ऋण अथवा दोनों, पात्रता अनुसार देना ।
हितग्राही अर्हताएं	:	पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति को ऋण/अनुदान

	दिया जाता है ।
हितग्राही चयन प्रक्रिया	पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों द्वारा जिला पंचायत को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने पर ।
योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया	जिला पंचायत को आवेदन प्रस्तुत करने पर तथा सहायक पंजीयक सहकारी समितियां द्वारा अनुशंसा करने पर ऋण/अनुदान वितरण किया जाता है ।

परिशिष्ट–पाँच (घ)

योजना का नाम	:	अनुसूचित जनजाति/जाति की मछुआ सहकारी समितियों को अनुदान
उद्देश्य	:	अनुसूचित जनजाति/जाति के लोगों को सहकारिता के माध्यम से मछली पालन कर रोजगार उपलब्ध कराना ।
योजना का स्वरूप एवं आच्छादन	:	आदिवासी उपयोजना क्षेत्र एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र
हितग्राही अर्हताएं	:	पंजीकृत समिति होना आवश्यक है ।
हितग्राही चयन प्रक्रिया		समिति द्वारा जिला पंचायत को निर्धारित प्रपत्र में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर ।
योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया		समिति को पंचायत के अथवा शासकीय या अर्द्ध–शासकीय तालाबों को कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर लेकर मत्स्योद्योग विभाग के मार्गदर्शन में मत्स्य पालन करने पर निम्नानुसार अनुदान की पात्रता है :–

	अनुदान			अधिकतम सीमा राशि (रूपये)
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	
हिस्सा पूंजी अंशदान हेतु	100%	100%	100%	5000/-
तालाब पट्टा राशि भुगतान हेतु	100%	50%	25%	42500/-
मत्स्यबीज क्रय एवं संचयन हेतु	100%	50%	25%	52500/-
जाल, नाव के क्रय हेतु	100%	100%	-	50000/-

			योग:	150000/-

परिशिष्ट–पाँच (ङ:)

योजना का नाम	:	शिक्षण प्रशिक्षण (मछुआरों का प्रशिक्षण)
उद्देश्य	:	सभी श्रेणी के मछुओं को मछली पालन की तकनीक एवं मछली पकड़ने जाल बुनने, सुधारने एवं नाव चलाने का प्रशिक्षण
योजना का स्वरूप एवं आच्छादन	:	प्रशिक्षण केन्द्र तक आने जाल का किराया एवं रूपये 750/– की वृत्ति प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को दी जाती है। जाल बुनने के लिए दो किलोग्राम नायलॉन धागा भी नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाता है । यह सुविधा प्रदेश के सभी जिलों में उपलब्ध है ।
हितग्राही अर्हताएं	:	जिला पंचायत की अध्यक्षता में गठित सिमति जिसमें दो नामांकित अशासकीय सदस्य तथा सहायक संचालक मत्स्योद्योग होते हैं द्वारा मछुआरों का चयन किया जाता हैं ।
	:	विभाग द्वारा 15 दिवसीय मत्स्य पालन प्रशिक्षण दिया जाता है ।
	:	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण अंतर्गत 15 दिवस का प्रशिक्षण दिया जाता है ।
योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया	:	चयन किए गए मछुआरों को जिले में स्थित उत्पादन केन्द्रों पर विभाग के अधिकारियों द्वारा सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाता है ।

परिशिष्ट–पाँच (च)

योजना का नाम	:	शिक्षण प्रशिक्षण (मछुआरों का अध्ययन भ्रमण)
उद्देश्य	:	प्रगतिशील मछुआरों को उन्नत मछली पालन का प्रत्यक्ष अनुभव कराने हेतु राज्य के बाहर भ्रमण पर भेजना
योजना का स्वरूप एवं आच्छादन	:	देश के अन्य राज्यों में अपनाई जा रही मत्स्य पालन तकनकों से मत्स्य पालकों को परिचित कराना ।
हितग्राही चयन प्रक्रिया	:	मछुओं का चयन जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जाता है ।

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया	:	जिला पंचायत द्वारा मछली पालन में सक्रिय मछुआरों की चयनित सूची के आधार पर अध्ययन भ्रमण पर भेजा जाता है ।

परिशिष्ट–पाँच (च)

योजना का नाम	:	मत्स्य जीवियों का दुर्घटना बीमा (केन्द्र प्रवर्तित कार्यक्रम)
उद्देश्य	:	मत्स्य पालन कार्य के समय दुर्घटना की स्थिति में मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।
योजना का स्वरूप एवं आच्छादन	:	प्रदेश में इस व्यवसाय से जुड़े हितग्राहियों को स्थाई अपंगता पर रूपये 25,000/–तक की सहायता तथा मृत्यु पर रूपय 50,000/– तक बीमाकृत व्यक्ति के परिवार को अर्थिक सहायता दी जाती है ।
हितग्राही की अर्हताएं	:	मछली पालने/मछली पकड़ने के कार्य में सक्रिय रूप से संलग्न पंजीकृत मछुआ/अनुसूचित जाति एंव जनजाति की समितियां/समूहों के सदस्य तथा मत्स्य कृषक विकास अभिकरण के हितग्राही जो 18 से 65 वर्ष की आयु वर्ग में हों ।
हितग्राही चयन प्रक्रिया	:	मत्स्योद्योग विभाग/मत्स्य महासंघ अथवा मत्स्य कृषक विकास अभिकरण योजना के हितग्राही जो मछली पालन/मछली मारने के कार्य में संलग्न हैं, से निर्धारित प्रपत्र पर मछुआरों के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर जिला पंचायत द्वारा एक वर्ष के लिए बीमा करने की कार्यवाही की जाती है ।
योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया	:	सभी बीमा योग्य मछुआरों की सूची तथा बीमा प्रीमियम की राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा राष्ट्रीय मछुआ सहकारी संघ मर्यादित, नई दिल्ली को भेजकर बीमा कराया जाता है।

परिशिष्ट–पाँच (छः)

पंचायत राज व्यवस्था अंतर्गत जिला पंचायतों को सौंपे गए कार्यों/कार्यक्रमों तथा दायित्वों के निष्पादन हेतु उनके अधीन किया जाने वाला अमला

क्र	जिला	सहायक संचालक मत्स्योद्योग	सहायक मत्स्य अधिकारी	मत्स्य निरीक्षक	मत्स्य जमादार
1	भोपाल	1	2	-	9
2	रायसेन	-	-	-	-
3	सीहोर	1	-	2	5
4	राजगढ़	-	-	-	-
5	विदिशा	1	1	1	3
6	होशंगाबाद	1	4	-	1
7	बैतूल	1	2	1	3
8	इन्दौर	1	-	1	1
9	धार	1	2	-	1
10	खरगोन	-	2	1	2
11	खण्डवा	1	2	1	2
12	झाबुआ	1	1	-	1
13	उज्जैन	1	2	1	2
14	देवास	1	1	1	2

15	रतलाम	-	2	2	1
16	मन्दसौर	1	-	-	-
17	शाजापुर	-	1	1	2
18	ग्वालियर	-	2	3	15
19	दतिया	1	-	1	2
20	मुरैना	-	3	2	17
21	भिण्ड	-	-	-	-
22	शिवपुरी	-	2	1	8
23	गुना	1	3	1	4
24	सागर	1	3	1	2
25	दमोह	1	-	1	8
26	टीकमगढ़	1	4	2	6
27	छतरपुर	1	2	1	1
28	पन्ना	1	1	1	2
29	रीवा	1	1	1	2
30	सतना+पौण्डी	-	5	1	1
31	सीधी	1	1	-	2
32	शहडोल	1	1	1	2
33	जबलपुर	-	3	1	7
34	नरसिंहपुर	-	-	-	-
35	मण्डला	-	2	1	2
36	सिवनी	-	1	1	1
37	छिन्दवाड़ा	1	3	-	1
38	बालाघाट	1	1	1	1

परिशिष्ट–सात

योजना का नाम	:	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण (केन्द्र प्रवर्तित योजना)
उद्देश्य	:	ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को स्वरोजगार योजना हेतु प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता एवं मत्स्य पालन हेतु 10 वर्षीय पट्टे पर तालाब उपलब्ध कराना । स्वंय की भूमि पर तालाब बनाने पर मत्स्य पालकों को अनुदान ।
योजना का स्वरूप एवं आच्छादन	:	विश्व बैंक की सहायता से केन्द्र प्रवर्तित योजना, मध्य प्रदेश के सभी 45 जिलों में संचालित की जा रही है ।
हितग्राही की अर्हताएं	:	मछली पालन से संबंध कोई भी व्यक्ति हितग्राही हो सकता है । 1–गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले सभी वर्ग के मछुआरे, जो ग्रामीण तालाबों को पट्टे पर लेकर अभिकरण अन्तर्गत् मत्स्य पालन करते हैं, हितग्राही बनाये जाते हैं । 2– स्वंय की भूमि में तालाब निर्माण कर अभिकरण योजना अन्तर्गत् मछली पालन करने वाले व्यक्ति भी हितग्राही होते हैं ।
योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया	:	अभिकरण अन्तर्गत् जिले के मत्स्य पालकों को उन्नत तकनीकी के आधार पर मत्स्य पालन करने के लिये हितग्राहियों का पंजीयन किया जाता है । उन्हें ग्राम पंचायत के तालाब पट्टे पर दिलाये जाते हैं तथा तद्नुसार आर्थिक सहायता (अनुदान) दिया जाता है ।

1	तालाब मरम्मत एवं सुधार, पानी के आगम–निर्गम द्वारों पर जाली लगाने पर अनुदान केवल एक बार ।	प्रति हैक्टेयर रू0 32,000/– की लागत का 25 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम सीमा रू0 8,000/–) अनुसूचित जनजाति के मत्स्य पालकों के लिये 50 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम सीमा रू0 16,000/–)
2	इनपुट्स लागत (मत्स्यबीज, आहार, उर्वरक, खाद, रोग प्रतिरोधक दवाईयों	रू0 16,000/– की लागत का 25 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम सीमा रू0 4,000/–)

	के लिये) केवल एक बार ।	अनुसूचित जनजाति के मत्स्य पालकों के लिये 50 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम सीमा रू0 8,000/–)
3	मत्स्य पालकों, प्रशिक्षुओं के 15 दिवसीय प्रशिक्षण के लिये क्षतिपूर्ति भत्ता ।	क्षतिपूर्ति भत्ता रूपये 25/– प्रतिदिन तथा रूपये 40/– प्रशिक्षण स्थल तक आने जाने का व्यय अध्ययन भ्रमण के लिये ।
4	मत्स्य पालकों की स्वंय की भूमि पर नवीन पोखरों के निर्माण आगम–निर्गम मार्गों पर जाली लगाने, कम गहरे नलकूप इत्यादि पर अनुदान केवल एक बार	रू0 1.00 लाख की लागत का 20 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम सीमा रू0 20,000/– सभी वर्गों के लिये) अनुसूचित जनजाति के मत्स्य पालकों के लिये 40 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम सीमा रू0 40,000/– 10 हैक्टेयर के तालाबों तक)
5	सुअर पालन, मुर्गी पालन, बतख पालन के साथ मछली पालने की समन्वित पालन परियोजना ।	रू0 40,000/– प्रति हैक्टेयर की लागत का 25 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम सीमा रू0 10,000/–`) समस्त वर्गों के मछुआरों के लिये ।
6	जिन पालकों द्वारा 3000/– किलो प्रतिवर्ष/प्रतिहैक्टेयर मछली उत्पादन लिया गया है उनको उत्पादन बढ़ाने के लिये वायूयंत्र (ऐरियेटर) क्रय पर अनुदान	रू0 40,000/– प्रति हैक्टेयर की लागत का 25 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम सीमा रू0 10,000/–) समस्त वर्गों के मछुआरों के लिये ।
7	मीठे पानी के झींगा पालन की हैचरी स्थापित करने पर अनुदान	रू0 50,000/– तक का अनुदान 50 से 100 लाख क्षमता की झींगा हैचरी की स्थापना के लिये सभी वर्गों के मछुआरों के लिये ।
8	फीड मिल स्थापना हेतु अनुदान	लागत का 25 प्रतिशत तक अनुदान रूपये 1.00 लाख की सीमा तक मत्स्य पालन / संस्था को ।
9	स्वीकृति के अधिकार	जिला पंचायतें उपर्युक्त अनुसार बजट उपलब्ध होने की दशा में सहायता राशि स्वीकृत कर अनुदान वितरित करेंगी ।

अन्य कार्य–

मत्स्य बीज उत्पादन के मौसम के पूर्व ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायतें अपने क्षेत्र की मत्स्य बीज की आवश्यकता का आकलन करेगी एवं मत्स्य बीज की व्यवस्था में सहयोग देगी । मत्स्य बीज का प्रचलित मूल्य एवं पैकिंग परिवहन व्यय इत्यादि की धनराशि अग्रिम के रूप में जिला पंचायत के सस्पेंस खाते में जमा करावेगी तथा समितियों/ मत्स्य पालकों को उत्तम गुणवत्ता वाला बीज उचित मात्रा में संचय के लिये प्रेरित करेंगी । उनके क्षेत्र में मत्स्य बीज संचय का पूर्ण दायित्व जिला पंचायत का होगा ।

परिशिष्ट–आठ

मछुआ सहकारी समितियों के संबंध में नीति

1– **सदस्य बनने की पात्रता–**

मछुआ सहकारी समिति केवल वही व्यक्ति सदस्य बनने का पात्र होगा जो निम्न परिभाषा अंतर्गत आते हैं ।

1.1 **मछुआ की परिभाषा–**

"मछुआरा वह है जो अपनी अजीविका का अर्जन मछली पालन, मछली पकड़ने या मछलीबीज उत्पादन आदि कार्य से करता हो । (वंशानुगत मछुआ जाति/ धीवर (धीमर, ढीमर) भोई, कहार,(कश्यप, सिंगराहा, सोंधिया, रायकवार, बाथम) मल्लाह, नावड़ा, केवट (मुड़हा, मुढ़ाहा, निषाद,) कीर, मांझी को प्राथमिकता क्रम मे रखा जावेगा) ।

1.2 **तालाब तथा सिंचाई जलाशयों का पट्टा आवंटन/तथा प्राथमिकता –**

- 1 हैक्टेयर औसत जलक्षेत्र तक के तालाब व्यक्ति विशेष हितग्राही को।
- प्राथमिकता क्रम वंशानुगत मछुआ जाति/अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग/सामान्य वर्ग, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ।
- 1 हैक्टेयर से 5 हैक्टेयर औसत जलक्षेत्र तक के तालाब/जलाशयः यदि इस क्षेत्र में पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति नहीं है तब, स्व–सहायता समूह/मछुआ समूह जो मछली पालन के निमित्त गठित हो और जिला मत्स्य पालन अधिकारी के व्दारा मान्य हो को ।

- प्राथमिकता क्रम वंशानुगत मछुआ जाति/अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग/सामान्य वर्ग के स्व–सहायता समूह/ समूह ।

- 5 हेक्ट. से 1000 हे0 औसत जलक्षेत्र तक के तालाब/जलाशय पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति को ।

- प्राथमिकता क्रम वंशानुगत मछुआ जाति/अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग /सामान्य वर्ग की पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को यदि उस प्राथमिकता क्रम की समिति पंजीकृत न हो तो, उक्त प्राथमिकता क्रम की प्राथमिकता के अनुसार स्व–सहायता समूह/समूह को लेकिन समूह को आवश्यक होगा कि एक वर्ष में समिति पंजीकृत करावें।

1.3 नवगठित मछुआ सहकारी समितियों में नई सदस्यता देने के पूर्व मछुओं की पहचान मत्स्य विभाग के माध्यम से कराई जावे ।

1.4 नवीन सहकारी समिति के गठन के समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जावे कि मत्स्योद्योग विभाग के जिला अधिकारी की अनुशंसा प्राप्त की गई हो एवं समस्त सदस्यों के संबंध में उनके मछुआ होने का प्रमाणिकरण किया है या नहीं ।

1.5 **eNqvk ifjp; i=**

izns'k ds rkykc] tyk'k;ks ,oa ufn;ksaa esa eRL;k[ksV djus okys eNqvkjksa rFkk rkykc@tyk'k;ksa esa eRL; ikyu@eRL;k[ksV djus okys eRL; ikydksa dks ifjp; i= iznk; fd;k tkosxk A

2. **मछुआ सहकारी समितियों का गठन–**

2.1 **मत्स्य सहकारी समितियों का कार्यक्षेत्र/ प्रतिव्यक्ति जलक्षेत्र**
स्थानीय /समीपवर्ती जलक्षेत्र आधारित समितियों का गठन किया जावेगा। सदस्य संख्या के अनुसार निर्धारित जलक्षेत्रके आधार पर समिति का कार्यक्षेत्र निर्धारित होगा । जलक्षेत्र के अनुसार सदस्य संख्या बढानी होगी । कम जलक्षेत्र होने से उपयुक्तता के आधार पर जिल मत्स्य अधिकारी की अनुशंसा पर समिति का पंजीयन हो सकेगा ।
प्रति व्यक्ति जलक्षेत्र का निर्धारण ।

क्र.	जलक्षेत्र श्रेणी	प्रति सदस्य जलक्षेत्र (औसत) आवंटन दर
	ग्रामीण तालाब	
2.1.1	बाराह मासी	1 हैक्टेयर
2.1.2	मौसमी	2 हैक्टेयर

सिंचाई जलाशय

2.1.3	1000 हैक्टेयर औसत जलक्षेत्र तक	4 हैक्टेयर
2.1.4	1000 हैक्टेयर औसत जलक्षेत्र से अधिक के सभी जलाशय	10 हैक्टेयर

2.2 यह सुनिश्चित किया जावे कि केवल वही व्यक्ति समिति के सदस्य बने जो वास्तव में मछुआरे हों तथा मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों ।

2.3 **सिंचाई परियोजना पर विस्थापित/प्रभावित मछुआरों की समितियों का गठन**

सिंचाई परियोजना के निर्माण के साथ ही उससे विस्थापित एवं प्रभावित होने वाले वंशानुगत मछुआ जाति को मत्स्य पालन /मत्स्य विकास के अधिकार में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावे ।

2.4 दो सीज़न तक यदि कोई सदस्य पर्याप्त जलक्षेत्र उपलब्ध होने के बावजूद मत्स्याखेट नहीं करना तो परीक्षण उपरांत उसकी सदस्यता समाप्त की जावे ।

2.5 नवीन समितियां उन स्थानों पर ही गठित की जावें जहॉ जलक्षेत्र उपलब्ध है एवं पूर्व से कोई समिति गठित नहीं है । नवीन समितियों का गठन पूर्ण परीक्षण एवं जांच उपरांत सहकारिता विभाग एवं मछली पालन विभाग के जिला अधिकारियों के द्वारा पूरी सावधानी से किया जावे ।

2.6 जाति अथवा वर्ग आधारित समितियों के पंजीकरण के संबंध में ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति की मत्स्य सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत तक वंशानुगत मछुआरों को प्रतिनिधित्व मिल सके किन्तु यह सुनिश्चित किया जावे कि इन समितियों में अध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को ही मिले। इन अनुसूचित जाति/जनजाति की समितियों को अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य के प्रतिनिधित्व के आधार पर अनुपातिक आर्थिक सहायता की पात्रता रहेगी।

2.7 बड़े जलाशयों हेतु आवश्यकता एवं परिस्थिति अनुसार एक या एक से अधिक समितियों का गठन किया जा सकेगा ।

2.8 प्रस्तावित समिति के कार्यक्षेत्र में पट्टे हेतु रिक्त जलक्षेत्र उपलब्ध हो तथा संबंधित स्वामित्व की पंचायत/नगरीय निकाय/अन्य विभाग/संस्थाओं द्वारा तालाब पट्टे पर उपलब्ध कराने की लिखित अनुमति उपरांत ही नवीन समिति के पंजीयन कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ।

2.9 मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ केवल उन्हीं मछुआ सहकारी समितियों के गठन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा जिन जलाशयों को म.प्र.मत्स्य महासंघ के कार्य हेतु सुरक्षित किया गया हो । शेष प्रकरणों में मत्स्योद्योग विभाग के जिला अधिकारी की अनुशंसा के उपरांत पंजीयन किया जावे ।

2.10 मध्य प्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 9 में स्पष्ट प्रावधान है कि एक ही समिति के कार्यक्षेत्र में पंजीयन समान्यतः नहीं किया जावेगा यदि किया जाना आवश्यक है तो पहले पंजीकृत समिति को सुना जावे ।

2.11 गैर मछुआ या निष्क्रिय सदस्य जो मत्स्य पालन/मत्स्याखेट/मत्स्यबीज उत्पादन नहीं करता है ऐसे व्यक्तियों की समिति पंजीकृत न की जावे । "मछुआ" होने के संबंध में मत्स्योद्योग विभाग से प्रमाणिकरण आवश्यक होगा ।

2.12 जिले में नवीन रूप से पंजीकृत की जाने वाली मछुआ सहकारी समितियों में प्राथमिकता वंशानुगत मछुओं को दी जावे । तदुपरांत अनुसूचित जाति/जनजाति/ पिछड़ावर्ग/अन्य वर्ग की सहकारी समितियां बनाई जावें प्रस्तावित समिति में यदि वंशानुगत मछुआरे नहीं हैं तो इसका उल्लेख करते हुए मत्स्योद्योग विभाग के जिला अधिकारी प्रमाणित करें ।

2.13 प्रदेश की समस्त मछुआ सहकारी समितियां जो किसी भी स्तर की पंचायतों के अंतर्गत मछली पालन से संबंधित व्यवसाय कर रही हों उन समितियों को किसी भी स्थिति में पट्टा राशि जमा करने में विलंब या उस पर लगाए गए ब्याज लेखा जोखा /आडिट रिकार्ड संधारित करने में कोई त्रुटि पाई जाने पर समितियों को समय पूर्व सूचित करने के पश्चात ही उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही की जावे ।

2.14 त्रि–स्तरीय पंचायतों या मछली पालन विभाग द्वारा पट्टा निरस्त करने या कोई भी वैधानिक कार्यवाही करने के पूर्व संबंधित संस्था को सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर प्रदान किया जावे । यदि किसी प्रकरण में समिति को अपना पक्ष रखे जाने हेतु सूचना दिए बिना एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर पट्टा निरस्त कर दिया हो या अन्य को दे दिया हो तो ऐसे सभी प्रकरणों का परीक्षण कर नियम अनुसार कार्यवाही की जावे ।

2.15 ऐसी समस्त मछुआ सहकारी समितियां जिनका पंजीयन शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों के विरूद्ध विभागीय अनुशंसा के बगैर किया गया है उनके प्रकरणों का अधिकृत अधिकारी से परीक्षण करा लिया जावे एवं ऐसी समितियों को जलक्षेत्र के आवंटन में प्राथमिकता नहीं दी जावे ।

2.16 मात्स्यिक नौका चालन, सिंघाड़ा उत्पादन, कमल डण्डी उत्पादन, विपणन हेतु मछुआ सहकारी समितियों का गठन किया जावे समिति द्वारा यदि रेत निकासी प्रस्तावित की गई हो तो रेत निकासी हेतु खनिज विभाग से सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

3. **जलक्षेत्र आवंटन–**

3-1 'kklu dh Li"V uhfr gS fd eRL; ikyu ds fy, iathd`r eNqvk lgdkjh lfefr;ksa dks muds dk;Z{ks= ds gh rkykc@tyk'k; dk vkoaVu izkFkfedrk ds vk/kkj ij fd;k tkos A

3.2 प्रति मछुआ जलक्षेत्र का निर्धारण आर्थिक वायबिलिटि को ध्यान में रखते हुए किया गया है ताकि मछुए को न्यूनतम इतना जलक्षेत्र उपलब्ध हो सके कि वह मत्स्य पालन अपनाकर गरीबी रेखा के ऊपर जा सके ।

3.3 ग्रामीण तालाबों का 1 हैक्टेयर जलक्षेत्र प्रति व्यक्ति को तथा सिंचाई जलाशय का न्यूनतम 4 हैक्टर जलक्षेत्र प्रति व्यक्ति को दिए जाने का प्रावधान होगा।

3.4 बारहमासी ग्रामीण तालाब 1 हैक्टेयर एवं मौसमी तालाब 2 हैक्टेयर (यदि एक तालाब 2.00 है0 का हो तो दिया जावेगा दूसरा जलक्षेत्र शामिल नहीं माना जावेगा) प्रतिव्यक्ति

3.5 1000 हैक्टर से ऊपर के जलाशयों का आवंटन प्रति व्यक्ति 10 हैक्टर की दर से किया जावेगा ।

3.6 एक समिति को एक से अधिक तालाब/जलाशय पट्टे पर उसी स्थिति में दिया जावे जब उसके पास जलक्षेत्र सदस्यों के अनुरूप कम हो । किन्तु यह जलक्षेत्र समिति के कार्यक्षेत्र में ही होना चाहिए ।

3.7 किसी भी दशा में जलक्षेत्र की नीलामी नहीं की जावे ।

3.8 किसी भी स्थिति में पंचायतों को उनके अधीनस्थ उपलब्ध जलक्षेत्र को जो समितियों को आवंटित किया गया है एवं उनके द्वारा पट्टा राशि जमा नहीं की गई है । तो विधिवत सूचना एवं उसका पक्ष सुने बिना पट्टा आवंटन के निरस्तीकरण एवं अन्य को आवंटन की कार्यवाही नहीं की जावे ।

4. मत्स्य सहकारी समितियों के फर्जी सदस्यों का निष्कासन–

प्रदेश की ऐसी मत्स्य सहकारी समितियों के फर्जी सदस्यों की पहचान कर समिति से उनकी सदस्यता समाप्त की जावे । नवगठित मत्स्य सहकारी समितियों मे नयी सदस्यता देने के पूर्व मछुओं की पहचान मत्स्य विभाग के माध्यम से कराई जावे । मछुओं की पहचान हेतु एक प्रक्रिया/कार्यप्रणाली निर्धारित की जावे । इस कार्य हेतु एक समिति का जनपद/जिला स्तर पर गठित होगी जिसमें जिला मत्स्य पालन अधिकारी, नामांकित नायब तहसीलदार संबंधित जनपद क्षेत्र का सहकारिता निरीक्षक तथा प्रत्येक जनपद क्षेत्र के मछुआ जाति के दो वरिष्ठ व्यक्ति जिनका नामांकन कलेक्टर के द्वारा किया गया हो, को रखा जावेगा ।

फर्जी सदस्यों के निष्कासन की कार्यवाही का कडाई से पालन किया जावेगा।

परिशिष्ट–नो

1 **जलाशय/तालाब के औसत जलक्षेत्र का निर्धारण –**
तालाब/जलाशय काफी पुराने होने से गांद जमा होने से उत्पादित जलक्षेत्र कम हो जाने के कारण जलक्षेत्र का पुर्नाकलन संबंधित विभाग से कराया जावेगा ।

2. **नदियों में निःशुल्क मत्स्याखेट व्यवस्था**
प्रदेश में मछुआरों के लिए नदियों में निःशुल्क मत्स्याखेट की व्यवस्था यथावत रखी जावेगी। मत्स्यबीज संचय किया जाता रहेगा । नदी खण्डो में गहरे दहों के निकटतम तटवर्ती नवीन नीति के अनुसार समिति/समूह गठित किए जावेंगे ।

3. **बन्द ऋतु –**
मध्य प्रदेश नदीय (मत्स्योद्योग) नियम 1972 के प्रावधान अंतर्गत निर्दिष्ट जिलों में मत्स्याखेट दिनांक 16 जून से 15 अगस्त तक प्रतिबंधित रहेगा।

4. **नदियों में विष, डायनामाइट, विघुत प्रवाह से आखेट करने वालो के विरूद्ध दण्ड का प्रावधान–**
मध्य प्रदेश मत्स्योद्योग पुनरीक्षित अधिनियम 1981 के निहित प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनश्चित किया जावेगा ।

5. **मत्स्य महासंघ के वृहद एवं मध्यम जलाशयों के जलाशय क्षेत्र के ऊपरी नदीय क्षेत्र में मत्स्याखेट प्रतिबंधित करने संबंधी–**
प्रदेश के जलाशयों में पूर्ण भराव जलक्षेत्र (एफ.टी.एल) से उपर की नदी क्षेत्र के एक किलोमीटर तक मत्स्याखेट से प्रतिबंधित रखा जावेगा ।

6. शासकीय मत्स्य हैचरियों का मूल्यांकन एवं अनुत्पादक हैचरियों का निराकरण

6.1 शासकीय हैचरी/प्रक्षेत्र के साथ संलग्न भूमि एवं अन्य अधोसंरचना जो मत्स्यबीज उत्पादन से संबंधित नहीं है को आफसेट दर निर्धारण में सम्मिलित न करते हुये पट्टाराशि निर्धारित की जावेगी ।

6.2 हैचरियों के लगे हुए तालाब/जलाशय उसी संस्था/ व्यक्ति को दिए जा सकेंगे जिन्हें हैचरी/प्रक्षेत्र पट्टे पर दिये गये है और इनकी पट्टावधि 10 वर्ष होगी ।

6.3 हैचरियां/प्रक्षेत्र को पट्टे पर देने हेतु दो विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात् भी यदि नवीन नीति के प्राथमिकता क्रम अनुसार मत्स्य सहकारी समितियां आवेदन नहीं करती है तो अन्य व्यक्तियों को नीलामी से दिया जा सकेगा ।

7. अन्य विषय–

7.1 तालाब/जलाशय में मत्स्य पालन कार्य मिट्टी तथा पानी के भौतिक, रासायनिक, जैविक, गुणवत्ता के आधार पर किया जावे । इस हेतु जिला संभाग स्तर पर विभागीय प्रयोगशाला स्थापित की जावे । प्रत्येक मछुआ/मत्स्यपालक को आवश्यकता पड़ने पर मत्स्य पालन हेतु मिट्टी पानी का विश्लेषण कर सुझाव दिया जावेगा ।

7.2 मत्स्य पालक को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदाय किया जावेगा ।

7.3 निस्तारी तालाबों से अनाधिकृत रूप से पानी निकालने पर सख़्त प्रतिबंध लगाया जावेगा ।